भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

विज्ञापन संख्या 03 / ग्रेड 'ए' और 'बी' / 2025-26

ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' अधिकारियों की भर्ती-
सामान्य और विशेषज्ञ स्ट्रीम: 2025

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' (सामान्य और विशेषज्ञ स्ट्रीम) में अधिकारियों के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उक्त पद के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। सिडबी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी और लागू अपेक्षित शुल्क के आधार पर प्रवेश देगा और साक्षात्कार/ज्वाइनिंग के चरण में उनकी पात्रता की जाँच करेगा। यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी मिथ्या /गलत है या बैंक के अनुसार, उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे साक्षात्कार/ज्वाइनिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि इस विज्ञापन में निर्दिष्ट सभी निर्देशों और दिए गए सामान्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत, केवल **www.sidbi.in** के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। **कोई अन्य माध्यम /आवेदन/प्रिंटआउट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

सहायता सुविधा: फॉर्म भरने, शुल्क/सूचना शुल्क के भुगतान या कॉल लेटर डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में, आप **http://cgrs.ibps.in/ पर "उम्मीदवार परिवाद पंजीकरण एवं निवारण तंत्र" पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।** ईमेल के विषय में **"सिडबी अधिकारी - ग्रेड 'ए' और 'बी' - (सामान्य एवं विशेषज्ञ स्ट्रीम)"** लिखना न भूलें ।

महत्वपूर्ण तिथियां / समयसीमा	
ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे का खोला जाना / शुल्क का भुगतान	**14 जुलाई, 2025**
ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे का बंद होना / शुल्क का भुगतान	**11 अगस्त, 2025**
आयु के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित करने की अंतिम तिथि	**14 जुलाई, 2025**
शैक्षिक योग्यता / योग्यता-पश्चात् के अनुभव के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित करने की अंतिम तिथि	**11 अगस्त, 2025**
ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि (चरण I)	**6 सितंबर, 2025**
ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि (द्वितीय चरण)	**04 अक्टूबर, 2025**
साक्षात्कार की संभावित तिथि	**नवंबर 2025**

सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित प्रमुख वित्तीय संस्था है। एमएसएमई क्षेत्र जोकि सिडबी का संकेंद्रित व्यवसाय प्रक्षेत्र है, विगत साढ़े सात दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, जिसने औद्योगिक क्षेत्र में रचनात्मकता, नवाचार और गतिशीलता का योगदान दिया है जिससे देश भर में औद्योगिक विकास को गति

मिली है। सिडबी एमएसएमई के वित्तपोषण और संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाएं परिचालित करता है।

सिडबी का ध्येय ' एमएसएमई पारितंत्र में एमएसएमई इकाइयों को ऋण के प्रवाह को सुगम और सुदृढ़ बनाना और इस क्षेत्र के सामने आने वाली वित्तीय और विकासपरक अंतरालों का समाधान करना' है। सिडबी 'एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में उभरने, इसे सुदृढ़, जीवंत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, सिडबी ब्रांड को पसंदीदा ग्राहक अनुकूल संस्था के रूप में स्थापित करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से शेयरधारकों की संपत्ति में और उच्चतम कॉर्पोरेट मूल्य' में वृद्धि' के दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है।

इसे प्राप्त करने के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण में गुणक प्रभाव / वृहत्तर पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिडबी अप्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों, एसएफबी, एनबीएफसी, एमएफआई और नए दौर के फिनटेक के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी करता है। सिडबी ऋण वितरण परितंत्र द्वारा ऐसे प्रदर्शन योग्य और रचनात्मक ऋण उत्पादों का उपयोग करके एमएसएमई क्षेत्र में मौजूदा ऋण अंतराल को पाटने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से औद्योगिक संकुलों में रणनीतिक हस्तक्षेप करता है, जिसका अनुसरण अन्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा भी किया जा सके।

सिडबी अपने फंड ऑफ फंड्स पहल के माध्यम से स्टार्टअप्स की सहायता करके भारत में उद्यमिता संस्कृति के विकास में वृद्धि को भी सुगम कर रहा है। इसके अलावा, सिडबी उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है और क्रेडिट-प्लस पहल - सरकार की एमएसएमई-उन्मुख योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी जैसी भूमिकाओं में एक सुविधाप्रदाता स्वरूप के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए उभरते उद्यमों की सहायता कर रहा है।

सिडबी एक समान अवसर नियोक्ता है और उसका विश्वास है कि उसके अधिकारी, प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी ग्राहक सेवा प्रदान करने के प्रमुख प्रचालक हैं। सिडबी का दृढ़ विश्वास है कि उसका मानव संसाधन उसकी सबसे मूल्यवान आस्ति है। तदनुसार, बैंक को सिडबी की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए गतिशील और महत्वाकांक्षी युवाओं की तलाश है और वह निम्नलिखित पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

1. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण का विवरण

पद का नाम/वेतनमान (` में ), न्यूनतम सकल परिलब्धियां (` प्रति माह)	सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' - सामान्य स्ट्रीम [` 44500 - 2500(4) - 54500 - 2850(7) – 74450 -ईबी - 2850(4) – 85850 - 3300(1) - 89150 (17 वर्ष)] ` 1,00,000/- लगभग।									
धारा	**कुल रिक्तियों की संख्या**	**रिक्तियां आरक्षित**				**अनारक्षित**	**जिसमें से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित**			
		अनुसूचित जाति	**अनुसूचित जन जाति**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**		**वीआई**	**एचआई***	**ओसी**	**एमडी / आईडी**
सामान्य	50	7	3	15	5	**20**	-	2#	1	2#
कुल	**50**	**7**	**3**	**15**	**5**	**20**	**-**	**2**	**1**	**2**
पद का नाम/वेतनमान (` में ), न्यूनतम सकल परिलब्धियां (` प्रति माह)	प्रबंधक ग्रेड 'बी' - सामान्य और विशेषज्ञ स्ट्रीम [` 55200 - 2850 (9) - 80850 - ईबी - 2850 (2) - 86550 - 3300 (4) - 99750 (16 वर्ष) ] ` 1,15,000 / - लगभग।									
धारा	**कुल रिक्तियों की संख्या**	**रिक्तियां आरक्षित**				**अनारक्षित**	**जिसमें से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित**			
		अनुसूचित जाति	**अनुसूचित जन जाति**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**ईडब्ल्यूएस**		**वी आई**	**एच आई**	**ओ सी**	**एम डी / आई डी**
सामान्य	11	1	1	3	2$	**4**	1#	-	-	-

विधि	8	1	1	3@	-	**3**	-	-	-	-
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) **[कौशल सेट- एआई/एमएल ऑटोमेशन / फुल स्टैक एप्लिकेशन डेवलपमेंट / सुरक्षा / इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क]**	7	1	1	1	2$	**2**	-	-	1#	-
कुल	**26**	**3**	**3**	**7**	**4**	**9**	1	-	1	-

 # प्रत्येक में 1 बैकलॉग रिक्ति शामिल है
$ में प्रत्येक में 1 बैकलॉग रिक्ति शामिल है
@ इसमें 2 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं
** यदि एचआई उप-श्रेणी (एक बैकलॉग रिक्ति के लिए) से कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो उपयुक्त पाए जाने पर रिक्ति को **अन्य पीडब्ल्यूबीडी** उप-श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा।*

टिप्पणी: -

- **पीडब्ल्यूबीडी - "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में परिभाषित बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (i) एचआई - श्रवण बाधित; (ii) ओसी - अस्थि विकलांग; (iii) वीआई - दृष्टि बाधित; (iv) एमडी - बहु विकलांगता; (v) आईडी - बौद्धिक विकलांगता।**

- **वर्तमान में, उपर्युक्त वेतनमान संशोधन के अधीन है।**

(i) एक उम्मीदवार केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएँगे । एक से अधिक आवेदनों की स्थिति में, केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन ही मान्य होगा तथा अन्य एकाधिक पंजीकरणों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

(ii) उपर्युक्त पद का पदनाम/नाम केवल सांकेतिक है। सिडबी को बिना किसी सूचना के किसी भी समय पद का पदनाम/नाम बदलने का अधिकार होगा।

(iii) सिडबी को उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाने और वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार(ओं) पर विचार करने का अधिकार होगा। प्रस्ताव/नियुक्ति पत्र सिडबी की आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा सकते हैं ।

(iv) रिक्तियों की कुल संख्या, जिसमें गैर-आरक्षित (यूआर) और ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं, अनंतिम हैं और सिडबी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। अनु जाति/अनु जनजाति/आ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए रिक्तियों में संबंधित श्रेणियों में बैकलॉग और कमी, यदि कोई हो, शामिल है। ऊपर दर्शाई गई आरक्षित रिक्तियों की सटीक संख्या जारी किए गए प्रस्ताव/नियुक्ति पत्रों की वास्तविक संख्या/शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है।

(v) 'ऑनलाइन' पंजीकरण गेटवे बंद होने की तिथि पर **'क्रीमी लेयर'** के अंतर्गत आने वाले ओबीसी आवेदकों को अनारक्षित माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहिए।

(vi) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांगता की परिभाषा और विकलांगता की डिग्री समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट देख सकते हैं।

(vii) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा हो सकता है कि सिडबी के सभी कार्यालयों/विभागों में विकलांग अभ्यर्थियों को नियोजित करना संभव न हो और इस संबंध में उन्हें सिडबी के निर्णय के अनुसार पदों/केंद्रों में काम करना होगा।

(viii) यदि किसी निर्दिष्ट श्रेणी के उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं हैं, तो सिडबी एमडी/आईडी अभ्यर्थियों के बीच आरक्षण के परस्पर आदान-प्रदान की अनुमति दे सकता है।

(ix) उपर्युक्त पद सिडबी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी खुला है। सिडबी उन्हें अधिकतम आयु सीमा, आवेदन शुल्क आदि में उचित छूट/रियायतें, जो भी सिडबी उचित समझे, देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. सेवा शर्तें/कैरियर संभावनाएं आदि.

(i) वर्तमान में, सकल परिलब्धियों में महंगाई भत्ता, ग्रेड भत्ता, विशेष भत्ता, स्थानीय प्रतिपूरक भत्ता आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पद के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को 'परिभाषित अंशदायी नई पेंशन योजना (एनपीएस)' या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना द्वारा शासित होंगे।

(ii) ऊपर दिए गए वेतनमान के अनुसार परिलब्धियों के अलावा, ऊपर बताए गए पदों के लिए ग्रेच्युटी, अवकाश किराया रियायत दो साल में एक बार (स्वयं, पति/पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, वाहन रखरखाव व्यय / भत्ता, लाउंज जैसी अन्य सुविधाएं, सिडबी के नियमों के अनुसार टेलीफोन व्यय, समाचार पत्र, पुस्तक अनुदान, शिक्षा व्यय, निवास की साज-सज्जा के लिए भत्ता, एक महीने की सकल परिलब्धियों तक ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम, सिडबी के आवास या उसके बदले में पट्टे पर फ्लैट सुविधा, कार, आवास के लिए रियायती दरों पर ऋण और अग्रिम यात्रा, व्यक्तिगत कंप्यूटर/टैबलेट आदि की सुविधा मिलेगी । नियुक्ति के स्थान के आधार पर राशि भिन्न हो सकती है। नियुक्ति के स्थान के आधार पर, ग्रेड 'ए' के अधिकारियों का वार्षिक वेतन ₹ 19 लाख से ₹ 21 लाख और ग्रेड 'बी' के अधिकारियों का वार्षिक वेतन ₹ 23.5 लाख से ₹ 26 लाख तक होता है।

(iii) सिडबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने जेएआईआईबी/सीएआईआईबी (सिडबी में शामिल होने से पहले) योग्यता प्राप्त की है, वे वेतनमान में एक/दो अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे इस संबंध में सिडबी की संतुष्टि के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(iv) सिडबी, अपने विवेकानुसार, उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता या सिडबी के लिए विशेष महत्व का अनुभव रखने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को, प्रस्तावित पद के वेतनमान में अधिकतम 4 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देने पर विचार कर सकता है (जेएआईआईबी / सीएआईआईबी वेतन वृद्धि सहित)। यद्यपि, ऐसे अनुरोधों की जांच सिडबी द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग आधार पर तभी की जाएगी जब अभ्यर्थी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा और सिडबी द्वारा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धि देने या अन्यथा देने के लिए सिडबी का निर्णय, साथ ही ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धि देने की तारीख, उम्मीदवार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) **परिवीक्षा और तैनाती / स्थानांतरण -** चयनित अभ्यर्थी 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। इस अवधि को सिडबी के विवेक पर अधिकतम 4 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को समय-समय पर सिडबी के विवेक पर और सिडबी द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार, सिडबी के विभिन्न कार्यालयों/ उद्धागों/ सहयोगी / सहायक कंपनियों में तैनात/ स्थानांतरित किया जाएगा ।

(vi) **कौशल उन्नयन: - करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने और संगठन में उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करने के लिए नियमित रूप से कौशल उन्नयन करना और उद्योग के रुझानों के साथ बने रहना आवश्यक है।**

(vii) **ग्रेड 'डी' और उच्चतर ग्रेड के सभी अधिकारियों की कैरियर प्रगति एकल सामान्य स्ट्रीम में होगी या बैंक द्वारा समय-समय पर तय की जाएगी।**

3. आरक्षण / छूट / रियायतें

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण/छूट/रियायतें दी जाएंगी।

(ii) **बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण-**

"विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के तहत, बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे। इस पद को विकलांगों की श्रेणियों के तहत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया है जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित किया गया है और समय-समय पर विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(ए) ऑर्थोपेडिक रूप से चुनौती वाले वर्ग: "ओसी" वर्ग:

सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, मस्कुलो इस्क्लेटिल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के परिणामस्वरूप स्वयं के और वस्तुओं के परिचालन से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थ व्यक्ति अथवा तेजाब

आक्रमण के शिकार व्यक्ति। ऑर्थोपेडिक रूप से बाधित व्यक्तियों को निम्नलिखित बेंचमार्क के साथ लोकोमोटर विकलांगता के तहत कवर किया जाता है:

(ए) ओए - एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)

(बी) ओएल - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)

(सी) ओएएल - एक हाथ और एक पैर प्रभावित

(डी) बीएल - दोनों पैर प्रभावित होते हैं लेकिन हाथ नहीं

ओए और ओएएल श्रेणी वाले व्यक्तिय सामान्यतः दोनों हाथों से कार्य करने में सक्षम होने चाहिए।

(i) "कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुका है लेकिन निम्न से पीड़ित है:

(क) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना की हानि और पक्षाघात लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;

(ख) प्रकट विकृति और पक्षाघात, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;

(ग) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ बढ़ती आयु जो व्यक्ति को कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकती है, और अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोगमुक्त" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ii) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;

(iii) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(iv) "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है। डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में जानकारी त्रुटिपूर्ण और अनुपलब्ध होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण नहीं करने देती। कंकाल की मांसपेशियों की प्रगामी कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों का मृत होना इसके लक्षण हैं।

(v) "एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ के द्वारा किए गए हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।"

(बी) दृश्य क्षीणता ("VI" श्रेणी): केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति से पीड़ित हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

(i) अंधापन:

(क) दृष्टि का पूर्ण अभाव; अथवा

(ख) बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम, जिसमें सर्वोत्तम संभव सुधार हो; या

(ग) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम का कोण बनाती है। अथवा

(ii) कम दृष्टि:

(क) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम हो या 3/60 तक हो या 10/200 (स्नेलन) तक हो, बेहतर आँख में, सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या

(ख) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम से लेकर 10 डिग्री तक का कोण बनाती है ।

(सी) श्रवण बाधित ("एचआई" श्रेणी):

(i) **बधिर:** इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि हो।

(ii) **श्रवण बाधित** व्यक्ति का अर्थ है, दोनों कानों में वाणी आवृत्ति में 60 डीबी से 70 डीबी तक श्रवण हानि होना।

(डी) "आईडी" श्रेणी: केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं:

(i) बौद्धिक विकलांगता.

(क) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

(ख) "मानसिक बीमारी" (एमआई) का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार , वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण कर देता है , लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता द्वारा चिह्नित है।

(ई) "बहु-विकलांगता" से तात्पर्य खंड "ए", "बी", "सी", "डी (आई)" में से एकाधिक विकलांगता से है ।

नोट: केवल बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क विकलांगता" का अर्थ है, निर्दिष्ट विकलांगता के 40% से कम न होने वाला व्यक्ति, जहाँ निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें वे विकलांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं, जहाँ विकलांगता को प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित मापनीय शब्दों में परिभाषित किया गया है।

- ✓ जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सत्यापन/ पुन: सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।
- ✓ बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में निर्धारित और सिडबी द्वारा तय किए गए अनुसार होगा।
- ✓ पीडबल्यूबीडी अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में हाल ही का विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा जिसका विधिवत गठन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्र/राज्य सरकार कम से कम 3 सदस्यों से मिलकर मेडिकल बोर्ड (बोर्डों) का गठन कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक लोकोमोटर / सेरेब्रल / दृश्य / श्रवण विकलांगता या किसी अन्य विकलांगता का आकलन करने के लिए विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा। इस तरह के लाभों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय / प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपने दावे के समर्थन में मूल रूप से प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस विज्ञापन के अंत में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले जारी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पीडबल्यूबीडी के लिए आरक्षण को समवर्ती आरक्षण कहा जाता है और इन्हें प्रासंगिक आरक्षण रोस्टर में आने वालों की संख्या के प्रति समायोजित किया जाएगा। विकलांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप सिडबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

<u>दिव्यांगजनों के लिए स्क्राइब और प्रतिपूरक समय के उपयोग हेतु दिशानिर्देश</u>

(ए) 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति: दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपने व्यय पर नीचे (ii) पर दी गई सीमा के अधीन अपने लेखक का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहां लेखक का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(i) अभ्यर्थी को अपने स्वयं के खर्च पर स्वयं अपने लिए लेखक की व्यवस्था करनी होगी।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्था किए गए लेखक उसी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और लेखक दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

परीक्षा में लेखक की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसे सावधानीपूर्वक इंगित करना चाहिए। बाद में प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे अभ्यर्थी के लिए लेखक नहीं हो सकता है।

(iv) लेखक किसी भी शैक्षणिक धारा का हो सकता है। हालांकि, "सामान्य" के अलावा अन्य विषयों में पदों के लिए, लेखक को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्ट्रीम से अलग होना चाहिए।

(v) अभ्यर्थी और साथ ही लेखक दोनों को एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा जो पुष्टि करता है कि लेखक ऊपर वर्णित एक लेखक के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार / अंतिम परिणाम के बावजूद, अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(vi) वे अभ्यर्थी जो लेखक का उपयोग करते हैं, परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए या अन्यथा परामर्श के अनुसार 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे। दिव्यांगजन उम्मीदवारों को, जिनकी टाइपिंग/लेखन में शारीरिक सीमा है, जिसमें गति भी शामिल है, परीक्षा के लिए प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा, चाहे वे लेखक की सुविधा का लाभ उठा रहे हों या नहीं।

(vii) लेखक को स्वयं उत्तर नहीं देना चाहिए। इस तरह के किसी भी व्यवहार को देखने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(viii) प्रतिपूरक समय के लिए केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही छूट की अनुमति दी जाएगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए किसी को ऐसे समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं किए गए अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ix) अभ्यर्थियों को केवल तभी लेखक / प्रतिपूरक समय का उपयोग करने का विकल्प चुनना चाहिए जब वे इस संबंध में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत भारत सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन सेवाओं / रियायतों का लाभ उठाने के लिए पात्र हों।

(x) लेखक को भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ.नंबर 16-110/2003-डीडीआईआईआई दिनांक 26 फरवरी, 2013 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

(xi) कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र है। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन या भौतिक तथ्यों को छिपाने पर पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा, इसके अलावा किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा जिसे बैंक उम्मीदवार और लेखक के खिलाफ उचित समझे। ऐसे उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के बैंक की सेवा से हटाया जा सकता है, यदि वह पहले ही बैंक में शामिल हो चुका है।

(xii) परीक्षा के दौरान, किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि लेखक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक लेखक की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया जाएगा यदि यह परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि लेखक ने स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब दिए।

बी. 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति: पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों (जिनकी विकलांगता 40% या अधिक है) पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं, यानी 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति:

(i) लिखने में कठिनाई वाले व्यक्तियों को ही लेखन सहायक और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है और **परिशिष्ट I** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखन सहायक आवश्यक है।

(ii) लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए। स्वयं लेखक चुनने वाले अभ्यर्थी को **परिशिष्ट II** में दिए गए प्ररूप के अनुसार अपने लेखक का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(सी) लोकोमोटर विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

- ✓ उन गतिक अक्षमता लोकोमोटर डिसैबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों को क्षतिपूरक 20 मिनट अथवा अन्यथा सूचित किए गए अनुसारक्षतिपूरक समयावधि की अनुमति होगी जहां प्रभावशाली (लेखन) इतनी अधिक सीमा तक प्रभावी होता हो की कार्य-निष्पादन (न्यूनतम 40 % हानि) तक धीमा हो जाता हो ।

(डी) दृष्टि-बाधित अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश

- ✓ दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो 40% से कम विकलांगता से ग्रस्त नहीं हैं) परीक्षा की विषय-वस्तु को बड़े अक्षरों में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय या परीक्षा की सूचना के अनुसार अन्य समय के लिए पात्र होंगे।

नोट: केवल बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क विकलांगता" का अर्थ एक निर्दिष्ट विकलांगता के 40% से कम नहीं है, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाले वे व्यक्ति शामिल हैं, जहां विकलांगता को मापने योग्य अवधि में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। एक व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सत्यापन / पुन: सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए।

ये दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, (यदि कोई हों), के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण

(क) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वाषक आय 8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किया जाना है।

(ख) आय में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, जीविका आदि और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है उन्हें परिवार की आय के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हांकित होने से बाहर रखा जाएगा:

i. 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि ।
ii. 1000 वर्ग फुट और उससे ऊपर के आवासीय फ्लैट।
iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा जाएगा।

(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुति पर लिया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन /साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र लाना होगा।

(ङ.) इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता, और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहनों के साथ-साथ उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे।

(च) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगामी निर्देशों और किसी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो तो, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

4. पात्रता मानदंड

4.1 राष्ट्रीयता / नागरिकता

अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से

(i) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ii) नेपाल का नागरिक होना चाहिए या

(iii) भूटान का नागरिक होना चाहिए या

(iv) तिब्बत का ऐसा शरणार्थी होना चाहिए ,जो (1 जनवरी ,1962 के पहले) भारत में स्थायी रुप से निवास करने के इरादे से भारत आया हो या

(v) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व में तांगानिका और ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मालवी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से आप्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो ।

परंतु उपर्युक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) या (v) से संबंधित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे सिडबी द्वारा आयोजित समूह-चर्चा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अंतिम चयन होने पर, नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा ,जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो ।

4.2 14 जुलाई 2025 को आयु सीमा (इसके साथ पढ़ा जाए 4.3)

न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा
ए. ग्रेड 'ए' में अधिकारियों के लिए: **21 वर्ष से कम** और **30 वर्ष से अधिक नहीं.** (उम्मीदवार जिनका जन्म 14.07.1995 से पहले और 15.07.2004 के बाद नहीं हुआ है [दोनों दिन सहित] केवल आवेदन करने के पात्र हैं) **बी. ग्रेड 'बी' में अधिकारियों के लिए:** **25 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं.** (उम्मीदवार जिनका जन्म 14.07.1992 से पहले और 15.07.2000 के बाद नहीं हुआ है [दोनों दिन सहित] केवल आवेदन करने के पात्र हैं)

4.3 ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार उपलब्ध होगी : -

क्रमांक।	वर्ग	आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 साल
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	पीडब्ल्यूबीडी [अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस] “दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016” के तहत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति।	10 वर्ष
	दिव्यांगजन [ओबीसी उम्मीदवार] [ओबीसी छूट के साथ संचयी]	13 वर्ष
	दिव्यांगजन [एससी/एसटी उम्मीदवार] [एससी/एसटी छूट के साथ संचयी]	15 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार (भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनः रोजगार) संशोधन नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार) भूतपूर्व सैनिक, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी (ईसीओ)/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (एसएससीओ) सहित कमीशन प्राप्त अधिकारी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा की है और जिन्हें कार्यभार पूरा होने पर कार्यमुक्त किया गया है (जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यभार आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा होना है) सैन्य सेवा या अशक्तता के कारण कदाचार या अकुशलता या शारीरिक विकलांगता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा अन्य किसी कारण से कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।	5 साल
5	1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्ति	5 साल

नोट: (i) निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होती है।

(ii) आयु में छूट के इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय और सिडबी द्वारा अपेक्षित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में आवश्यक प्रमाणपत्र मूल रूप में/फोटोकॉपी सहित जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्ररूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के तहत सिविल पद और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर किए गए क्रीमी लेयर अनुभाग से संबंधित नहीं है। ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के तहत आने वाले अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में सामान्य के रूप में अपनी श्रेणी को इंगित करना चाहिए। अभ्यर्थी के पास समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर खंड के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(iii) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए पूर्व-सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। तथापि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, एक भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल रोजगार में शामिल

हो जाता है, संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के दिनांक-वार ब्यौरे के बारे में स्व-घोषणा/वचन पत्र देना चाहिए, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती पर भरी जाती हैं और जहां भी पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है। अधिकारियों के संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(iv) सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आयु में छूट संचयी आधार पर उपलब्ध नहीं होगी सिवाय इसके कि जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है, और विभागीय / कर्मचारी अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष तक, जैसा कि अंक 4.4 के नोट के क्र.सं. (iii) में निर्दिष्ट है।

4.4 आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं:

पदों का नाम	**धारा**	**आयु (वर्ष)** **अधिकतम**	**शैक्षणिक योग्यता**	**न्यूनतम योग्यता के बाद का कार्य अनुभव**
सहायक प्रबंधक ग्रेड ए'	**सामान्य**	30	**(i)** वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी /व्यवसाय प्रशासन/इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक (एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए 50%) या **(ii)** कंपनी सचिव (सीएस) / प्रमाणित प्रबंध लेखाकार (सीएमए/आईसीडब्ल्यूए)/ चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) या **(iii)** चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या **(iv)** एमबीए/पीजीडीएम [किसी भी विषय में (*पाठ्यक्रम पूर्ण कालिक 2 वर्ष का होना चाहिए*)] / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित। **नोट: स्नातक स्तर पर, उम्मीदवारों ने** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान से ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम लिया हो, जिसमें कक्षा 12 के बाद परीक्षा में शामिल हो, तथा जो कम से	**केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिनकी शैक्षणिक योग्यता (i) है** वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी/व्य-वसाय प्रशासन/ इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक (एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए 50%) है। या **(ii)** कंपनी सचिव (सीएस) / प्रमाणित प्रबंध लेखाकार (सीएमए / आईसीडब्ल्यूए) / चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए)। **<u>आवश्यक:</u>** **ए .** (एक **अधिकारी (स्थायी) के रूप** में एमएसएमई/नैगम क्षेत्रों में ऋण प्रदायगी की प्रक्रिया और व्यापार तथा छोटे वाणिज्यिक ऋण आदि को उधार देने में कम से कम **<u>दो वर्ष का</u>** अनुभव। व्यक्तिगत ऋण, शैक्षिक ऋण, वाहन ऋण, आवास ऋण आदि से संबंधित अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा)। (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) और सिडबी।

			कम 3 वर्ष की अवधि की हो, वह परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि उसने उक्त निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किया हो। स्नातकोत्तर स्तर/मास्टर डिग्री पर, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से ऐसा कोई पाठ्यक्रम लिया हो। स्नातक के बाद लिए गए और कम से कम 2 वर्ष की अवधि वाले कार्यक्रम की परीक्षा में प्रवेश पात्रता होगी। **टिप्पणी:** अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते उन्हें ज्वाइनिंग के समय (यदि चयनित हों) अंतिम मार्कशीट और अनंतिम/अंतिम स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा ।	या (ख) आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्य बैंक या (ग) आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी **टिप्पणी:** - जिन्हें **दो वर्ष का** संयुक्त अनुभव (उपर्युक्त क्रम संख्या (क), (ख) और (ग) के अनुसार) प्राप्त है , वे आवेदन करने के पात्र होंगे। या A. **उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में** कम से कम 2 वर्ष का अनुभव **(मुख्य कार्य का) होना चाहिए** : i. सेबी के साथ पंजीकृत निवेश बैंकिंग / मर्चेंट बैंकिंग में काम करने वाली संस्थाएं या ii. सेबी के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में काम करने वाली संस्थाएं या iii. आरबीआई के साथ पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) या iv. एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सहायक कंपनी या v. परियोजना प्रबंध (अर्थात राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं/योजनाओं का प्रशासन और कार्यान्वयन) राष्ट्रीय स्तर की परामर्शदात्री फर्मों के साथ, जिनके पास समान क्षेत्र में परामर्श और परियोजना प्रबंध का 10 वर्ष से

				अधिक का अनुभव हो और परामर्श/परियोजना प्रबंध, सरकारी परियोजना कार्यान्वयन/सरकारी परियोजना प्रबंध/ऋण से संबंधित डिजिटल परियोजना/सरकारी परियोजनाओं के लिए परामर्श का विशिष्ट अनुभव हो। **टिप्पणी** - **क्रमांक (iii) एवं (iv)** में दर्शाई गई शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम **योग्यता-पश्चात कार्य अनुभव संबंधी मानदंड आवश्यक नहीं होंगे।**
प्रबंधक ग्रेड बी'	**सामान्य**	33	पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए 50%) या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर / सभी सत्रों / वर्षों के कुल योग में न्यूनतम 55% अंकों (एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए उत्तीर्ण अंक) के साथ समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता। **नोट:** स्नातक स्तर पर, उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान से ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम लिया हो, जिसमें कक्षा 12 के बाद परीक्षा में शामिल हो, तथा जो कम से कम 3 वर्ष की अवधि की हो, वह परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि उसने उक्त निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किया हो। स्नातकोत्तर स्तर/मास्टर डिग्री पर, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऐसा कोई पाठ्यक्रम लिया हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान स्नातक के बाद लिया गया और कम से कम 2 वर्ष की अवधि वाला पाठ्यक्रम, उक्त निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने के अधीन, परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगा।	**आवश्यक:** निम्नलिखित में **अधिकारी (स्थायी)** के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)। या (ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) और सिडबी। या (ग) आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या (घ) आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी **टिप्पणी:** संयुक्त अनुभव (उपर्युक्त क्रम संख्या (ए), (बी), (सी) और (डी) के अनुसार) रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं। **वांछित: -**

				भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (IIBF) द्वारा आयोजित JAIIB एवं CAIIB परीक्षा उत्तीर्ण होना वांछनीय है।
प्रबंधक ग्रेड 'बी'	**विधि**	33	**आवश्यक** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री। सभी सत्र /वर्षों के कुल योग में न्यूनतम 50% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 45%) अंक या समकक्ष और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अधिवक्ता के रूप में नामांकित। **वांछनीय : (क)** विधि में स्नातकोत्तर डिग्री /कंपनी सचिव (सीएस) की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। (ख) कंप्यूटर अनुप्रयोगों में दक्षता।	**आवश्यक:** विधि विभाग में विधि अधिकारी [स्थायी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष अनुबंध पर (आउटसोर्स नहीं)] के रूप में विधि में स्नातक की डिग्री के बाद कम से कम पांच वर्ष का कार्य अनुभव: (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या (ख) कोई भी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) और सिडबी। या (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। या (घ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) या (ई) आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी **टिप्पणी:** - जिन अभ्यर्थियों के पास संयुक्त अनुभव (उपर्युक्त क्रम संख्या (ए), (बी), (सी), (डी) और (ई) के अनुसार) **पांच वर्ष का** है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। **वांछनीय: बैंकिंग कानून, कंपनी कानून,** श्रम कानून, संवैधानिक कानून, वसूली, दिवाला एवं दिवालियापन कानून,

				संपत्ति और राजस्व मामलों आदि का विशेष ज्ञान तथा दलीलों और दस्तावेजों के प्रारूपण का अनुभव।
प्रबंधक ग्रेड 'बी'	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) (कौशल सेट-एआई/एमएल ऑटोमेशन / फुल स्टैक एप्लिकेशन डेवलपमेंट / सुरक्षा / इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क)**	33	**आवश्यक:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान से *कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी* / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री कुल मिलाकर 60% अंकों के साथ, (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी आवेदक 55%)। या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान से एमसीए कुल मिलाकर 60% अंकों के साथ (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी आवेदक 55%) । **वांछित:** जिन उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित प्रासंगिक उद्योग प्रमाणपत्र होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी: एआई / एमएल / डेटा साइंस या पूर्ण स्टैक अनुप्रयोग विकास या सीआईएसएसपी, सीआईएसएम, सीईएच प्रमाणपत्र, या समकक्ष या आईटी सेवा प्रबंधन में आईटीआईएल फाउंडेशन प्रमाणित	**आवश्यक:** सूचना प्रौद्योगिकी में आईटी/सिस्टम अधिकारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव [स्थायी/पूर्णकालिक प्रत्यक्ष अनुबंध पर (आउटसोर्स नहीं)] (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) और सिडबी। या (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। या (ग) सूचीबद्ध कंपनियां। या (घ) आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी **टिप्पणी:** **पांच वर्ष का** संयुक्त अनुभव (उपर्युक्त क्रम संख्या (ए), (बी), (सी) और (डी) के अनुसार) रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। उपरोक्त पांच वर्षों के अनुभव में से: - एआई/एमएल समाधान में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, साथ ही, एमएल/डीप लर्निंग एल्गोरिदम के विकास में व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए। - पायथन, आर प्रोग्रामिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **या** - वेब एप्लिकेशन विकास में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए

				और - आरडीबीएमएस, एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल प्रोग्रामिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **या** - आईटी सुरक्षा प्रबंध में 5 वर्ष का अनुभव। **या** - आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क प्रबंध में 5 वर्ष का अनुभव। **वांछित:** - रीमोट प्रोसेस स्वचालन उपकरणों में कार्य करने का अनुभव। या - यूआई कौशल में काम करने का अनुभव। या - उद्यम-स्तरीय सुरक्षा समाधानों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में अनुभव। - सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए विविध टीमों और हितधारकों के साथ काम करने का अनुभव। या - नेटवर्क, वर्चुअलाइजेशन/क्लाउड और भंडारण प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में अनुभव। - उच्च उपलब्धता, विश्वसनीयता और मापनीयता सुनिश्चित करने वाले बुनियादी ढांचे के डिजाइन सिद्धांतों का अनुभव।

नोट: i . एक उम्मीदवार केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएँगे। एक से अधिक आवेदनों की स्थिति में, केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन ही मान्य होगा और अन्य एकाधिक पंजीकरणों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

ii. सिडबी को प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अंकों के प्रतिशत में पात्रता मानदंड को बढ़ाने /संशोधित करने का अधिकार होगा। उम्मीदवार के पास पंजीकरण के दिन लागू स्नातक/स्नातकोत्तर की वैध मार्कशीट/डिग्री प्रमाणपत्र होना चाहिए और उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण करते समय स्नातक में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाना होगा । जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं , वे

आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे ।

iii. स्टाफ अभ्यर्थी **(केवल सिडबी के स्थायी कर्मचारी)** भी विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि पात्रता मानदंड पूरा करने पर, उन्हें सामान्य भर्ती की तरह आयु में 5 वर्ष की छूट और आवेदन शुल्क से छूट दी जा सकती है। 5 वर्ष की आयु में छूट उनकी संबंधित श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन को पहले से दी जा रही आयु में छूट के अतिरिक्त होगी।

iv. अंकों की प्रतिशतता उम्मीदवार द्वारा सभी सत्रों/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों को, ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो तो, पर ध्यान दिए बिना, सभी विषयों में कुल अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्राप्त किए जाएँगे । यह उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा जहाँ कक्षा / ग्रेड केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर तय किया जाता है । उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में, जैसा भी मामला हो, स्नातक/स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव तक दर्शाना होगा । इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा अर्थात 59.99% को 60% से कम और 54.99% को 55% से कम माना जाएगा।

v. कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान श्रेणी या अंकों का प्रतिशत प्रदान नहीं करते हैं और समग्र ग्रेड पॉइंट [जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपाआई आदि] आवंटित करते हैं। जहाँ सीजीपीए/ओजीपीए/सीपाआई प्रदान किया जाता है, उसे ऑनलाइन आवेदन में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान समग्र ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और/या अंकों के प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है तो, उसे स्वीकार किया जाएगा। हालाँकि, जहाँ विश्वविद्यालय/संस्थान समग्र ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और/या अंकों के प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए मानदंड निर्धारित नहीं करते हैं, वहाँ अपरिभाषित मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किए जाएँगे:

समतुल्य सीजीपीए/ओजीपीए/सीपाआई या 10-बिंदु पैमाने पर समान आवंटित शब्दावली	**कक्षा / प्रभाग**	**अंकों का कुल %**
6.75	I प्रथम]	60%
6.25	II [द्वितीय]	55%
5.75	II [द्वितीय]	50%
5.25	II [द्वितीय]	45%

प्रदत्त कुल ग्रेड अंक अथवा अंकों का प्रतिशत से तात्पर्य पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान प्राप्त कुल अंक है।

(vi) जहां कुल ग्रेड अंक [सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि] 10 के अलावा किसी अन्य संख्या में से दिए जाते हों, तो इसे 10 के समतुल्य परिवर्तित करते हुए, इसकी गणना उक्त मद[i] के अनुरूप की जाएगी ।

(vii) सभी शैक्षणिक योग्यताएं यूजीसी / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से प्राप्त की जानी चाहिए।

(vii) चयन की स्थिति में (साक्षात्कार के समय इस संबंध में वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन), **11 अगस्त 2025 को या उससे पहले परिणाम** घोषित करने के लिए बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से उचित दस्तावेज, साक्षात्कार / कार्यभार ग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जारी मार्कशीट या अनंतिम प्रमाण पत्र पर दिखाई देने वाली तिथि होगी। यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय / संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है और वेब-आधारित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो, विश्वविद्यालय / संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी और हस्ताक्षरित मूल दस्तावेज / प्रमाण पत्र, जिसमें उत्तीर्ण होने की तारीख का उचित उल्लेख हो, सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित होगा। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार /कार्यग्रहण, यदि चयनित हो तो, (साक्षात्कार के समय इस संबंध में वचनबद्धता प्रस्तुत करना) के समय मूल अनंतिम / अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी तत्काल खारिज कर दी जाएगी।

(ix) **अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले आवेदकों** के मामले में, आवेदक को अंतिम मार्कशीट और अनंतिम / अंतिम स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र, मूल रूप में, शामिल होने के समय (यदि चयनित हो) प्रस्तुत करना

होगा, ऐसा न करने पर आवेदकों की उम्मीदवारी को तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।

5. कार्य का स्वरूप : -

पद	कार्य का स्वरूप
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' (सामान्य स्ट्रीम)	अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक के परिचालों के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रौं में सक्रिय रूप से योगदान दें - • व्यवसाय विकास, एमएसएमई ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन, मंजूरियाँ, संवितरण, ग्राहक प्रबंध, ऋण निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई। • प्रस्तावों/खातों की समीक्षा/नवीनीकरण का समय पर पूरा होना। • शाखा के प्रत्यक्ष ऋण के बकाया पोर्टफोलियो के संदर्भ में व्यवसाय वृद्धि। • दिए गए वर्ष में नए ग्राहकों की संख्या में अभिवृद्धि। • विभिन्न मंचों पर सिडबी का प्रतिनिधित्व , विभिन्न ऋण समितियों के सदस्य । • एसएमए और एनपीए का प्रबंधन, जिसमें माँगी गई बकाया राशि की समय पर वसूली हेतु अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। शाखा कार्यालय में कानूनी मामलों का समन्वय और उन्हें सुगम बनाना । • प्रधान कार्यालय के उद्-भागों को एमआईएस और अन्य रिपोर्ट (मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक) समय पर प्रस्तुत करना। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (सामान्य स्ट्रीम)	सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' की जिम्मेदारियों के अलावा, अधिकारियों से बैंक के परिचालनों के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में अतिसक्रिय योगदान अपेक्षित होंगे ; - • प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ऋण प्रदायगी की प्रक्रिया और निगरानी तंत्र के माध्यम से एमएसएमई, माइक्रोफाइनेंस, स्टार्टअप/वेंचर कैपिटल क्षेत्र में ऋण पहुंच को बढ़ाना। • एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक की उद्यमिता संवर्धन और कौशल विकास गतिविधियों में योगदान देना, जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाना शामिल है। • नियमित बाजार फीडबैक/अनुसंधान के माध्यम से व्यवसाय विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख इनपुट प्रदाता बनना तथा अपने क्षेत्रों/क्लस्टरों में रुझानों के साथ प्रबंधन को अद्यतन करना, ताकि विभिन्न नई पहलकदमियों और परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में बैंक की सहायता की जा सके। • आंतरिक प्रबंध/प्रशासन, नियंत्रण और निगरानी संबंधी कार्यों में प्रतिभागिता करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एमएसएमई क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था की बदलती गतिशीलता के बीच बैंक एक अनुकूलनीय और उत्तरदायी संगठन बना रहे। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (कानूनी स्ट्रीम)	अधिकारियों में बैंक के सभी कानूनी कार्यों को स्वतंत्र रूप से संभालने की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं; • बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मामलों में बंधक और अन्य संपत्तियों सहित प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति /प्रभार के सृजन और प्रवर्तन पर कानूनी राय प्रदान करना। • डीआरटी आवेदन, वाणिज्यिक विवाद आवेदन/पूर्व-संस्था मध्यस्थता, सिविल मुकदमे, आपत्तियां/प्रति-शपथपत्र, रिट याचिकाएं, एनसीएलटी/एनसीएलएटी के समक्ष आईबीसी आवेदन/आपत्तियां, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायतें, कैवेट्स आदि को संभालना, जिसमें सिडबी के

	मामलों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं के साथ संपर्क करना शामिल है। • बैंक के हितों की रक्षा के लिए, जहाँ भी लागू हो, आपराधिक शिकायतों का निपटारा करना और वसूली मामलों के संबंध में पुलिस स्टेशन/सीबीआई/जांच एजेंसियों आदि के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना। सरफेसी /डीआरटी /डीआरएटी /उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रतिभूति प्रवर्तन मामलों में विभिन्न न्यायालयीय कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण/उपस्थिति और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मध्यस्थता कार्यवाही/जांच एजेंसियों आदि के समक्ष मामलों का सीधे या अधिवक्ताओं के माध्यम से निपटारा करना । • चूक वाले ऋणों की वसूली से संबंधित बैंक को सौंपी गई आस्तियों की बिक्री/निपटान का पर्यवेक्षण करना। • नीतिगत मुद्दों पर कानूनी सलाह प्रदान करना, सिडबी की इच्छानुसार किसी भी कानूनी मामले पर समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना। • ऋण वितरण बढ़ाने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्वत्वाधिकार जांच रिपोर्ट (टीआईआर) का परीक्षण करना और उन्हें स्वीकार करना। • सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत मांग नोटिस, बिक्री नोटिस, नीलामी दस्तावेज आदि तैयार करना/जारी करना। सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण के लिए पंचनामा, सूची आदि तैयार करना तथा ऐसे सभी मामले जिनमें सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है । • सरफेसी के अंतर्गत प्रयाभूत आस्तियों का अधिग्रहण, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक/जिलाधिकारी कार्यालय/तहसीलदार कार्यालय/राजस्व कार्यालय आदि का दौरा करना शामिल है। • सरफेसी अधिनियम के तहत भौतिक कब्जा लेने में डीएम/सीएमएम की सहायता के लिए दायर/दायर किए जाने वाले आवेदन की धारा 14 का प्रारूपण/समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई। • आईबीसी मामलों सहित वसूली से संबंधित विभिन्न मामलों के संदर्भों को संभालना। • आवश्यकतानुसार ऋणदाता समिति (सीओसी) की बैठकों में भाग लेना। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी स्ट्रीम) (कौशल सेट - एआई/एमएल ऑटोमेशन)	अधिकारियों से बैंक के परिचालनों के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में अतिसक्रिय योगदान अपेक्षित होंगे- • व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझें और एमएल समाधानों के लिए अवसरों की पहचान करें। • डेटा मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, सांख्यिकी और विश्लेषण का उपयोग करके डेटा समाधान और अंतर्दृष्टि विकसित करें। • डेटा सटीकता, स्थिरता और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक समस्या के लिए सर्वोत्तम एमएल समाधान का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। • मॉडल प्रदर्शन, विलंबता, मेमोरी और थ्रूपुट को अनुकूलित करें। • एआई समाधानों का डिज़ाइन और विकास। • मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग, वर्गीकरण मॉडल, सांख्यिकीय विधियाँ और एनएलयू/एनएलपी का अनुप्रयोग। • मॉडल प्रदर्शन और डेटा सटीकता की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं और उपकरणों का विकास करना।

	• संबंधित व्यवसाय का विश्लेषण करना तथा प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए व्यवसाय के भीतर अग्रणी और पिछड़े संकेतकों के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करना। • डेटा विज़ुअलाइज़ेशन तकनीकों का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करना। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी स्ट्रीम) (कौशल सेट - पूर्ण स्टैक एप्लिकेशन डेवलपमेंट)	अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सक्रिय रूप से योगदान दें बैंक के संचालन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र- • जावा और संबंधित फ्रेमवर्क में जटिल वेब अनुप्रयोगों, सेवाओं, एपीआई को डिजाइन करने के लिए आवश्यक कार्य। • आवश्यकता और अनुप्रयोग डिजाइन के आधार पर अपेक्षित डिजाइन और डेटा मॉडल का सृजन। • कोडिंग मानकों, रखरखाव, पुन: प्रयोज्यता के लिए कोड की समीक्षा और अनुकूलन का सुझाव। • व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर पूर्वानुमान उपलब्ध कराना। • आवश्यकता, डिजाइन और कोडिंग चरण में गैर-कार्यात्मक और सुरक्षित कोडिंग की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना और लागू करना। • फ्रंट-एंड आवश्यकताओं को समझें और एंगुलर और सहायक प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का उपयोग करके फ्रंट-एंड मॉड्यूल का निम्न स्तर का डिज़ाइन और विकास। • अनुप्रयोग और सर्वर स्तर की समस्याओं को डीबग करने और हल करने की क्षमता। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी स्ट्रीम) (कौशल सेट - सुरक्षा)	अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सक्रिय रूप से योगदान दें बैंक के संचालन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र- • सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार आईटी सुरक्षा विन्यास को डिजाइन करना। • विनियामक और अनुपालन ढांचे के अनुपालन में सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास। • संगठन की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा समाधान और उपकरण डिज़ाइन और कार्यान्वित करें। • सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने, शमन रणनीति/योजना विकसित करने, समाधानों को लागू करने और निगरानी करने के लिए क्रॉस-फ़ंक्शनल टीमों के साथ सहयोग करना। • विनियामक आवश्यकताओं और उद्योग मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा ऑडिट संपन्न करना। • नवीनतम सुरक्षा खतरों, प्रवृत्तियों और प्रौद्योगिकियों से अद्यतन बने रहना तथा संगठन की सुरक्षा स्थिति का निरंतर मूल्यांकन और उसे सशक्त बनाना। • लाइव होने से पहले अनुप्रयोग सुरक्षा नियंत्रणों को मान्य करना। • आरसीए, समाधान-प्रक्रिया और समापन के लिए ऑपरेशन टीम द्वारा उठाए गए घटनाओं की समीक्षा/जांच करना। • प्रासंगिक प्रौद्योगिकी टीमों/विक्रेताओं के साथ समन्वय करके नियमित घटनाओं/घटनाओं का शमन सुनिश्चित करना।

	• बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी स्ट्रीम) (कौशल सेट - बुनियादी ढांचा और नेटवर्क)	अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सक्रिय रूप से योगदान दें बैंक के संचालन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र- • सर्वर, भंडारण और नेटवर्किंग प्रणालियों सहित आईटी अवसंरचना का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव किया जाना। • क्लाउड-आधारित बुनियादी ढांचे और सेवाओं को लागू और उनका प्रबंध करना • आईटी अवसंरचना उन्नयन और प्रवसन की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना • सिस्टम-निष्पादन की निगरानी करना, समस्याओं का निवारण करना, और उच्च उपलब्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। • आईटी नीतियों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास और प्रवर्तन करना। • डेटासेंटर नेटवर्क और नेटवर्क सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को लागू करना और उसे कायम रखना। • एंटरप्राइज़ लैन और वाई-फाई अवसंरचना का प्रबंध और रखरखाव करना। • सिस्टम डिजाइन, स्थापना, कॉन्फ़िगरेशन, परीक्षण, अपग्रेड और रखरखाव प्रक्रियाओं सहित आईटी बुनियादी ढांचे के लिए दस्तावेज विकसित करना और बनाए रखना। • टीम द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना , टीम के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन निगरानी, तथा स्वचालन सहित दक्षता के लिए निरंतर प्रक्रिया सुधार। • आईटी उपकरणों/सेवाओं का सुरक्षित विन्यास सुनिश्चित करना तथा बैंक द्वारा निर्धारित एसएलए के अनुसार सदोष बिंदुओं को ठीक किया जाना। • सेवा वितरण, एसएलए और निष्पादन प्रबंध के लिए विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय और निगरानी करना तथा वितरण, गुणवत्ता या अनुपालन से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान करना। • संगठन की नीति/प्रक्रियाओं के अनुसार बीसीपी/डीआर अभ्यास का संचालन करना। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।

6. चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होंगे अर्थात **चरण I** (ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा जिसमें कुल 200 अंकों के सात (7) खंड वाले एक पेपर होगा), **चरण II** (ऑनलाइन परीक्षा जिसमें कुल 200 अंकों के दो पेपर शामिल होंगे) और **चरण III** [100 अंकों का साक्षात्कार, जिसमें पाठ्येतर गतिविधियों (जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर) में उल्लेखनीय उपलब्धि, सेवा में पुरस्कार/मान्यता आदि के लिए अंक शामिल होंगे, बशर्ते दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं]

सिडबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ अंकों के आधार पर चरण I परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को चरण II परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सिडबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ अंकों के आधार पर चरण II परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

बैंक **चरण II** परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, संचार के स्तर, स्पष्टता और समस्या-समाधान की नवीनता, दक्षता के स्तर, देश के किसी भी भाग में कार्य करने की इच्छा, पद के लिए उपयुक्तता आदि का आकलन करने के लिए ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट या किसी तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से कोई अन्य उपयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा के परिणामों को उम्मीदवारों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार

पैनल के समक्ष रखा जा सकता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट पूरा होने के बाद, उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो सिडबी कार्यालय(कार्यालयों) में संपन्न होगा।

ग्रेड 'ए' (सामान्य स्ट्रीम) में सहायक प्रबंधक और ग्रेड 'बी' (सामान्य एवं विशेषज्ञ स्ट्रीम) में प्रबंधक के पद के लिए आवेदकों का अंतिम चयन और रैंकिंग **चरण-II परीक्षा और साक्षात्कार** में उनके निष्पादन के आधार पर होगी । लिखित परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:

A. चरण-I परीक्षा (सभी स्ट्रीम/ग्रेड के लिए)

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा का स्वरूप	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय	टिप्पणी
1	अंग्रेजी भाषा	वस्तुनिष्ठ	30	30	**120 मिनट**	द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी (अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर)।
2	तर्क योग्यता	वस्तुनिष्ठ	25	25		
3	मात्रात्मक रूझान	वस्तुनिष्ठ	25	25		
4	कंप्यूटर ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	20	20		
5	सामान्य जागरूकता (बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र तथा आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के विशेष संदर्भ में)	वस्तुनिष्ठ	20	20		
6	एमएसएमई: नीति, विनियामक और कानूनी ढांचा; वित्त और प्रबंधन (एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करते हुए)।	वस्तुनिष्ठ	30	30		
7	स्ट्रीम विशिष्ट परीक्षण ##	वस्तुनिष्ठ	50	50		
	कुल		**200**	**200**	**120 मिनट**	

स्ट्रीम विशिष्ट परीक्षा का विवरण: -

क्र.सं.	स्ट्रीम	परीक्षण का नाम	टिप्पणी
1	सामान्य, (ग्रेड 'ए' और 'बी')	एमएसएमई वित्तपोषण (सम्यक् सावधानी /केवाईसी, वित्तीय अनुपात, सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी का मूल्यांकन, दस्तावेजी ऋण आदि), एनपीए और आईआरएसी मानदंडों सहित वसूली, एनबीएफसी वित्तपोषण, ऋण जोखिम मूल्यांकन आदि।	पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं।
2	कानूनी (ग्रेड 'बी')	कानून का सामान्य ज्ञान: संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, अनुबंध अधिनियम, 1872, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, पंजीकरण अधिनियम, 1908, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम , कानूनी प्रारूपण, आरडीबी अधिनियम, 1993, सरफेसी, 2002, आरटीआई अधिनियम 2005, सीमा अधिनियम, 1963, आईबीसी 2013 आदि।	
3	आईटी (ग्रेड बी')	आईटी क्षेत्र/उद्योग में हाल के विकास सहित डोमेन विशिष्ट ज्ञान, प्रोग्रामिंग और कोडिंग, डेटाबेस प्रबंधन, नेटवर्किंग और सुरक्षा, एआई/एमएल, सिस्टम डिजाइन और आर्किटेक्चर आदि सहित तकनीकी कौशल मूल्यांकन।	

टिप्पणी: -

i. **योग्यता अनुभाग -** अंग्रेजी भाषा, तार्किक योग्यता, मात्रात्मक योग्यता, कंप्यूटर ज्ञान।

ii. **मेरिट अनुभाग -** सामान्य जागरूकता (बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक तथा सामाजिक मामलों के विशेष संदर्भ के साथ), एमएसएमई: नीति, नियामक और कानूनी ढांचा; वित्त और प्रबंधन (एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करने के साथ) और स्ट्रीम विशिष्ट परीक्षा।

iii. **चरण II परीक्षा** के लिए अभ्यर्थियों का चयन केवल मेरिट सेक्शन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

iv. **ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर भिन्न हो सकता है।**

B. चरण - II परीक्षा

(क) सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' (सामान्य संवर्ग) एवं प्रबंधक ग्रेड 'बी' (सामान्य संवर्ग) के लिए चरण II परीक्षा

प्रश्नपत्र	परीक्षण का नाम	प्रश्नपत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र **I**	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, समझ एवं व्यवसायिक/कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी का प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा, ताकि विषय की अभिव्यक्ति व उसकी समझ सहित, लेखन कौशल का आकलन किया जा सके। ***नोट: उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वर्णनात्मक- कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप करके उत्तर दिए जाने हैं।	**3**	**75**	**75** मिनट
प्रश्नपत्र **II**	एमएसएमई: नीति, नियामक एवं कानूनी फ्रेमवर्क; वित्त एवं प्रबंधन (एमएसएमई पर फोकस करते हुए), एमएसएमई को वित्तीय सहायता (सम्यक परिश्रम/डयू डिलीजेंस/केवाईसी, वित्तीय अनुपात, सावधि ऋण (टर्मलोन)/कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) का आकलन, दस्तावेजी क्रेडिट आदि, आईआरएसी मानकों सहित एनपीए एवं वसूली, एनबीएफसी वित्तीयन, ऋण जोखिम आकलन आदि। निवेश बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इक्विटी, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी), भारत में एमएसएमई के संवर्धन और विकास से संबंधित प्रश्न। नोट***: उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (द्विभाषी अर्थात्, हिंदी और अंग्रेजी में)	**50#**	**75**	**60 मिनट**
		ऑनलाइन वर्णनात्मक – अंग्रेजी या हिंदी में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से उम्मीदवारों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे [15 अंक प्रतिप्रश्न के 2 प्रश्न (कठिनाई स्तर के साथ) और 10 अंक प्रतिप्रश्न के 2 प्रश्न]	**50**	**75 मिनट**

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

नोट: - ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर भिन्न हो सकता है।

(ख) प्रबंधक ग्रेड 'बी' (विधि) के लिए चरण II परीक्षा

प्रश्नपत्र	परीक्षण का नाम	प्रश्नपत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र I	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, समझ और व्यवसायिक/कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी का प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा, ताकि विषय की अभिव्यक्ति व उसकी समझ सहित, लेखन कौशल का आकलन किया जा सके। नोट*: **उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वर्णनात्मक	**3**	**75**	**75** मिनट
प्रश्नपत्र **II**	विधि का सामान्य ज्ञान: संवैधानिक विधि, प्रशासनिक विधि, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, करार अधिनियम, 1872, संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, 1882, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, पंजीकरण अधिनियम, 1908, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विधिक प्रारूपण, आरडीबी अधिनियम, 1993, एसएआरएफएईएसआई, 2002, आरटीआई अधिनियम 2005, लिमिटेशन अधिनियम, 1963, आईबीसी 2013 आदि। नोट*: **उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (द्विभाषी अर्थात्, हिंदी और अंग्रेजी में)	**50#**	**75**	**60 मिनट**
		ऑनलाइन वर्णनात्मक – अंग्रेजी या हिंदी में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	**6 प्रश्न पूछे जाएँगे, जिनमें से प्रत्याशी को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे [2 प्रश्न 15-15 अंक के होंगे (कठिनाई स्तर के साथ) तथा 2 प्रश्न 10-10 अंक के होंगे]**	**50**	**75 मिनट**

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

(ग) प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी) के लिए चरण II परीक्षा

प्रश्नपत्र	परीक्षण का नाम	प्रश्नपत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र I	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, समझ और व्यवसायिक/कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी का प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा, ताकि विषय की अभिव्यक्ति व उसकी समझ सहित, लेखन कौशल का आकलन किया जा सके। नोट: ***उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वर्णनात्मक- कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप करके उत्तर दिए जाने हैं।	**3**	**75**	**75** मिनट
प्रश्नपत्र II	**सॉफ्टवेयर का परिचय, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, डेटा संरचना, 'सी', 'सी++', 'जावा' और 'पायथन' में फाइल संरचना एवं प्रोग्रामिंग, सिस्टम विश्लेषण एवं डिजाइन के तत्व, अंकीय एवं सांख्यिकीय कंप्यूटिंग, डेटा कम्यूनिकेशन एवं नेटवर्क, कंप्यूटर आर्कीटिक्चर एवं नेटवर्क आर्कीटेक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, आरटीबीएमएस सहित डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मोबाइल कंप्यूटिंग, एल्गोरिदम्स का डिजाइन एवं विश्लेषण, एआई, एमएल एवं नेचरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बुनियादी जानकारी, साइबर/आईटी सुरक्षा, बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटा मॉडलिंग एवं रिपोर्टिंग टूल्स का उपयोग करते हुए डेटा विजुएलाइजेशन का एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट, क्रॉस यूजर इंटरेक्शन एवं डेटा एक्सचेंज के लिए एपीआई उपयोग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट आदि.** नोट: ***उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ @ (द्विभाषी अर्थात्, हिंदी और अंग्रेजी में)	**50#**	**75**	**60** मिनट
		ऑनलाइन वर्णनात्मक- कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप करके उत्तर दिए जाने हैं।	**इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्याशी को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे [2 प्रश्न 15-15 अंक के होंगे (कठिनाई स्तर के साथ) और 2 प्रश्न 10-10 अंक के होंगे]**	**50**	**75** मिनट

@ पैराग्राफ आधारित/संख्यात्मक/अनुप्रयोग आधारित व्याख्यात्मक प्रश्न

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

नोट- सभी स्ट्रीम/ग्रेड के लिए एक-समान: - उक्त पाठ्यक्रम उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। परीक्षा की तैयारी करते

समय उक्त पाठ्यक्रम को सूचना का एकमात्र स्रोत नहीं माना जाना चाहिए। परीक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, संबंधित विषय के दायरे में आने वाले सभी मामलों का उम्मीदवार द्वारा अध्ययन किया जाना होगा क्योंकि विषय के तहत सभी प्रासंगिक मामलों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी स्वयं को तैयार करना चाहिए जो उक्त विषय (विषयों) के तहत होने वाले वर्तमान/नवीनतम विकास/क्रिया-कलापों पर पूछे जा सकते हैं, हालांकि उन विषयों को विशेष रूप से पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया हो।

सभी प्रश्नपत्र (अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी वर्णनात्मक परीक्षण के परीक्षण को छोड़कर) अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध कराए जाएँगे।

सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए**,** पाँच उत्तरों में से**,** केवल एक ही सही उत्तर होगा। उम्मीदवार को सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना होगा और उस विकल्प को **'**माउस क्लिक**'** करना होगा**,** जो आपको उचित **/** सही लगता है। उम्मीदवार ने जिस उत्तर**/**विकल्प पर क्लिक किया है**,** उसे उस प्रश्न के उत्तर के रूप में माना जाएगा। **वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के लिए**, **उम्मीदवारों द्वारा चिह्नित गलत उत्तरों के लिए दंड होगा। उम्मीदवार द्वारा चिह्नित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए**, **उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का** 1/4 **भाग दंड के रूप में काटा जाएगा।**

ऑनलाइन परीक्षा के कुल प्राप्तांक निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर निर्धारित किए जाएँगे:

(i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में किसी प्रत्याशी द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या को गलत उत्तरों का दंड लगाने के बाद, सही स्कोर निर्धारित किया जाता है।

(ii) एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए सही अंकों को समतुल्य स्कोर पर पहुंचने के लिए विभिन्न सत्रों (यदि आवश्यक हो) में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में कठिनाई स्तर में मामूली अंतर, यदि कोई हो, का ध्यान रखने के लिए समकक्ष बनाया जाता है। *

*(*किसी भी परीक्षण में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को सभी फॉर्म के स्कोर के वितरण पर विचार करके आधार फॉर्म के बराबर किया जाता है.)*

(iii) टेस्टवार स्कोर और कुल स्कोर दो अंकों तक दशमलव अंकों के साथ रिपोर्ट किए जाते हैं.

नोट: कट-ऑफ दो चरणों में लागू किया जाएगा :

(i) व्यक्तिगत परीक्षणों में स्कोर पर

(ii) कुल स्कोर पर (अर्हता / मेरिट के लिए अलग से))

- चरण-I (सेक्शनल और कुल) और चरण-II (कुल) में ऑनलाइन परीक्षा के लिए कट-ऑफ उम्मीदवारों द्वारा बनाए गए अंकों के माध्य/मानक विचलन/समूह मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

- प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण, कुल वस्तुनिष्ठ परीक्षण और वर्णनात्मक परीक्षा में विभिन्न अर्ह कट-ऑफ अंक सिडबी द्वारा निर्धारित किए जाएँगे। ऑनलाइन वर्णनात्मक परीक्षण के प्रश्न आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। उत्तर कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने हैं। ऑनलाइन वर्णनात्मक परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर टाइप करने से पहले कृपया इसकी जाँच कर लें कि कीबोर्ड ठीक तरह से कार्य कर रहा है, कीबोर्ड के सभी की-फंक्शन पहले ही चेक कर लें।

- चूँकि रिक्तियाँ ग्रेड-वार / संवर्ग-वार निर्धारित की गई हैं, इसलिए प्रत्येक चरण के लिए उम्मीदवारों की योग्यता सूची ग्रेड-वार / संवर्ग-वार तैयार की जाएगी।

- उम्मीदवारों को साइकोमेट्रिक असेसमेंट/इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए प्रत्येक टेस्ट/सेक्शन में न्यूनतम स्कोर प्राप्त करना होगा और चरण-II परीक्षा में न्यूनतम कुल स्कोर भी प्राप्त करना होगा। उम्मीदवारों को रिक्तियों की संख्या, प्रत्येक परीक्षा में कट-ऑफ और बैंक द्वारा तय किए गए चरण-II परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने से पहले, ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के साथ साझा नहीं किया जाएगा

- सभी पद / ग्रेड के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, [जिसमें पाठ्येतर गतिविधियों (जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर) में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अंक शामिल होंगे, पुरस्कार / सेवा में मान्यता आदि दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन]। उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी में साक्षात्कार का विकल्प चुन सकते हैं। बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता मानदंड निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- **चरण-II** की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने (क्वालिफाई करने) के लिए बुलावा-अनुपात (कॉलिंग रेशियो) अधिकतम 1:25 होगा। बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार इस अनुपात को उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। सिडबी द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार अर्हता प्राप्त करने वाले और पर्याप्त रूप से उच्च रैंक करने वाले उम्मीदवारों को **चरण- II** परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा चिह्नित गलत उत्तरों के लिए दांडिक अंक काटे जाएंगे।

- ऑनलाइन परीक्षण के वस्तुनिष्ठ भाग में चिह्नित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न को दिए गए अंकों के 1/4 अंकों को चरण-1 और **चरण-2** दोनों में, दंड के रूप में काटा जाएगा।

- केवल ऐसे उम्मीदवार जो **चरण-2** परीक्षा में न्यूनतम कट-ऑफ अंक या उससे अधिक स्कोर करते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा / शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

- एक-समान अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों के मामले में, उनकी रैंकिंग/क्रम निम्नानुसार तय किया जाएगा :

    i. समग्रत: (अर्थात् चरण-II परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों को जोड़ कर) एक-समान प्राप्तांक वाले प्रत्याशियों में, **चरण-II** परीक्षा में उच्च अंक वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दिया जाएगा।
    ii. **चरण-II** परीक्षा में एक-समान अंक रखने वाले प्रत्याशियों के मामले में, आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्च रैंक दिया जाएगा।
    iii. यदि इसके बाद भी आगे एक-समान अंक / टाई-अप होता है, तो उच्च योग्यता वाले प्रत्याशी या समान योग्यता के मामले में, स्नातक स्तर की पढ़ाई में उच्च अंक वाले प्रत्याशी को उच्च रैंक दिया जाएगा।

नोट: ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अन्य आवेदकों की मदद लेने वाले आवेदकों की संभावना पर काबू पाने के लिए, बैंक सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य उपस्थित आवेदकों के साथ चरण- II परीक्षा में आवेदकों के जवाबों का विश्लेषण करेगा। इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, यदि यह संदेह है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो बैंक संदिग्ध आवेदकों की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसलिए आवेदकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में किसी भी अनुचित व्यवहार में शामिल न हों।

सिडबी परीक्षा की संरचना को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे सिडबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। परीक्षा के बारे में अन्य विस्तृत जानकारी एक सूचना हैंडआउट में दी जाएगी, जिसे प्रत्याशियों के लिए सिडबी की वेबसाइट- www.sidbi.in से कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

7. भर्ती पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी)

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी/अ.पि.व. प्रत्याशियों के लिए भर्तीपूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी) आयोजित किया जाएगा। तदनुसार, उन इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पीआरटी आयोजित की जाएगी, जिनके आवेदन सिडबी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं। पीआरटी ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से उम्मीदवार को परीक्षा के लिए या सिडबी की सेवा में भर्ती के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
कृपया यह भी ध्यान दें कि, केवल पीआरटी में भाग लेने से कोई भी उम्मीदवार सिडबी में चयनित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है।

8. ऑनलाइन परीक्षा :

ऑनलाइन परीक्षा **(चरण-I / चरण-II)** पूरे भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की अस्थायी सूची **परिशिष्ट-III** में उपलब्ध है।

(i) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदनपत्र में ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपने पसंदीदा केंद्र को इंगित करना होगा।
(ii) संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों पर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। कृपया परीक्षा के लिए अपने केंद्र की जाँच करें, क्योंकि कार्यालयीन सुविधा के कारण इसे बदला जा सकता है।
(iii) परीक्षा के लिए केंद्र/स्थान/तिथि/सत्र के परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) सिडबी, प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर अपने विवेक से किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(v) सिडबी, प्रत्याशी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा, किसी भी अन्य केंद्र को आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

(vi) प्रत्याशी, अपने जोखिम और व्यय पर किसी परीक्षा केंद्र में परीक्षा के लिए उपस्थित होगा और सिडबी किसी भी प्रकृति की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(vii) प्रत्याशी को एक बार अपनी पसंद का केंद्र चुन लेने के बाद उसे बदलने का अधिकार नहीं होगा।

यदि पर्याप्त संख्या में प्रत्याशियों द्वारा "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुना जाता है, तो **सिडबी** उन प्रत्याशियों को किसी अन्य निकटवर्ती केंद्र को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या यदि प्रत्याशियों की संख्या किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो सिडबी प्रत्याशियों को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों के स्कोर को, सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरी के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर के लिए समायोजित करने के लिए बराबर किया जाएगा। यदि किसी भी केंद्र पर या किसी प्रत्याशी के लिए नोड्स की क्षमता कम है या कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होती है।

9. बुलावा-पत्र (कॉल लैटर)/दस्तावेज/परीक्षा केंद्र आदि से संबंधित दिशानिर्देश:

जिन प्रत्याशियों को **ऑनलाइन चरण-II परीक्षा** में शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें बाद में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार अनुमानत: **5 केंद्रों अर्थात् चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली** में आयोजित किए जाएँगे। प्रत्याशियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में, साक्षात्कार के लिए अपने पसंदीदा केंद्र को अलग से इंगित करना होगा। हालाँकि, सिडबी प्रतिक्रियाओं, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर, अपने विवेक से किसी भी परीक्षा-केंद्र / साक्षात्कार-केंद्र को निरस्त करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सिडबी प्रत्याशी को, उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा, अन्य कोई भी केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(i) शॉर्टलिस्ट किए गए/छाँटे गए पात्र प्रत्याशियों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी) / ऑनलाइन परीक्षा(एँ) / साक्षात्कार (जैसा लागू हो) के स्थान की समय, तारीख और पते का विवरण, बुलावा-पत्र (कॉल लैटर), ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) के ऑनलाइन डाउनलोड की सूचना उचित समय पर प्रत्याशियों को भेजी जाएगी। प्रत्याशियों को सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in से, अपनी ऑनलाइन परीक्षा / साक्षात्कार (जो लागू हो) का बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) डाउनलोड करना होगा। प्रत्याशियों को डाक द्वारा या अन्यथा कोई अलग संचार जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में, अन्य निर्देश, यदि कोई हों, भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएँगे। प्रत्याशियों को बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) के बिना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण / ऑनलाइन परीक्षा (ओं) / साक्षात्कार (जैसा लागू हो) के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन परीक्षा की तारीख के बारे में जानकारी के लिए नियमित अंतराल पर सिडबी की वेबसाइट देखते रहें।

(ii) ऑनलाइन परीक्षा(ओं) / साक्षात्कार (जो लागू हो) के केंद्र, स्थान का पता और समय और तारीख के बारे में, शॉर्टलिस्ट किए गए/छाँटे गए प्रत्याशियों को बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) में सूचित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार (जो लागू हो) की तिथि, केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऑनलाइन परीक्षा(परीक्षाओं)/साक्षात्कार (जो लागू हो) की तारीख/स्थान/समय/केंद्र आदि को बदलने या किसी विशेष तिथि/सत्र/स्थल/केंद्र/प्रत्याशियों के सेट के लिए पूरक प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार, अप्रत्याशित परिस्थितियों में, यदि कोई हो, सिडबी के पास सुरक्षित है।

(iii) ऑनलाइन परीक्षा(ओं) / साक्षात्कार (जैसा लागू हो) के लिए उपस्थित होने के दौरान, प्रत्याशी को नीचे दिए गए वैध निर्धारित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना चाहिए। दस्तावेज़ों के अभाव में प्रत्याशियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सिडबी अलग से भेजे गए किसी भी प्रमाण पत्र / प्रेषण / दस्तावेज को प्राप्त करने/जोड़ने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा लागू हो)

प्रत्याशी की पात्रता और पहचान की पुष्टि के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की मूल और सत्यापित छायाप्रतियाँ, साक्षात्कार के समय निरपवाद रूप से प्रस्तुत की जानी हैं, ऐसा न करने पर प्रत्याशी को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। साक्षात्कार के समय प्रत्याशी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत न करने पर उसकी उम्मीदवारी को भर्ती प्रक्रिया में आगे की भागीदारी से रोक दिया जाएगा।

(a) साक्षात्कार हेतु वैध बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) का प्रिंटआउट।

(b) ऑनलाइन आवेदन पत्र का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट।

(c) विधिवत् प्रमाणित परीक्षा बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ)। जो प्रत्याशी साक्षात्कार के समय परीक्षा के प्रमाणित/मुद्रांकित बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) और आईडी प्रूफ की प्रमाणित/मुद्रांकित फोटोकॉपी नहीं लाते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(d) जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के साथ एसएसएलसी / कक्षा X का प्रमाण पत्र)

(e) फोटो पहचान प्रमाण, जैसा कि **क्रम संख्या 9 (ix) में दर्शाया गया है।**

(f) क्रम संख्या 9 (x) **में दर्शाए अनुसार स्थायी पते का प्रमाण।**

(g) स्नातक या समकक्ष योग्यता आदि की अंकसूची और प्रमाण पत्र। **11 अगस्त, 2025 को या उससे पहले परिणाम** घोषित करने के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज जमा करना होगा।

(h) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रत्याशियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्ररूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

(i) ओबीसी वर्ग से संबंधित प्रत्याशियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक खंड होना चाहिए कि प्रत्याशी क्रीमी लेयर सेक्शन से संबंधित नहीं है, जिसे भारत सरकार के तहत सिविल पोस्ट और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है। गैर-क्रीमी लेयर खंड वाले ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, साक्षात्कार की तारीख को मान्य होना चाहिए, यदि मांगा जाता है (साक्षात्कार की तारीख से एक वर्ष पहले जारी किया जाता है, यदि मांगा जाता है)। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार की सूची/अधिसूचना के साथ अक्षरश: मेल खाना चाहिए। ओबीसी श्रेणी से संबंधित प्रत्याशी, लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले और / या यदि उनकी जाति को केंद्रीय सूची में दिखाई नहीं देती है, तो वे ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में सामान्य/जनरल के रूप में अपनी श्रेणी दर्शानी चाहिए।

(j) विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के मामले में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र। यदि प्रत्याशी ने ऑनलाइन परीक्षा के समय स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग किया है, तो निर्धारित प्रारूप में स्क्राइब का विवरण विधिवत् भरा जाएगा।

(k) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित प्रत्याशियों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में एक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।

(l) भूतपूर्व सैनिक प्रत्याशी को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम / वर्तमान में धारित रैंक (मूल और साथ ही कार्यवाहक) के दस्तावेजी प्रमाण के साथ, सेवा या डिस्चार्ज बुक की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जो लोग अभी भी रक्षा सेवाओं में हैं, उन्हें किसी सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उन्हें **11 अगस्त, 2026 को या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा।**

(m) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित) में सेवारत प्रत्याशियों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके अभाव में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। सिडबी के चयन के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। साक्षात्कार के समय सशर्त एनओसी प्रस्तुत किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे प्रत्याशियों को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी / आगे चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(n) **4.3.(v)** के अंतर्गत आयु में छूट के लिए पात्र व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे सरकार द्वारा स्वीकृत 1984 के दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज के संदर्भ में राहत के लिए पात्र हैं और इसे वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा संचार विभाग सं एफ संख्या 9/21/2006 -आईआर दिनांक 27.07.2007 द्वारा मंजूर किया गया है।

(o) **अनुभव प्रमाण पत्र, यदि लागू हो: -** पिछले और / या वर्तमान नियोक्ताओं से अनुभव प्रमाण पत्र / कार्यमुक्ति-पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र-सह-कार्यमुक्ति-पत्र में स्पष्ट रूप से पिछले रोजगार(रों) में से प्रत्येक के लिए कार्यारंभ की तारीख और कार्यमुक्ति की तारीख दशाई गई हो। यदि अनुभव प्रमाणपत्र या कार्यमुक्ति-पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो एक वास्तविक अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्याशी के अनुभव के साथ-साथ सटीक तिथियाँ, पूरा नाम, पूरा पता और नियोक्ता के टेलीफोन नंबर, विभाग के साथ आयोजित पदनाम के टेलीफोन, संभाले गए कर्तव्यों की प्रकृति / जॉब प्रोफाइल आदि का उल्लेख होता है। पिछले नियोक्ता(ओं) से कोई प्रतिकूल टिप्पणी या प्रत्याशी द्वारा किए गए कदाचार / गलत-व्यवहार संबंधी टिप्पणी के कारण, प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकेगा। प्रत्याशियों को ***परिशिष्ट -IV में संलग्न प्रारूप के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो, वर्तमान और पिछले नियोक्ताओं से) प्रस्तुत करना होगा।***

(p) बिंदु 4.1 की श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(q) पात्रता के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

नोट: यदि कोई प्रत्याशी **ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक पात्रता दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और ऐसे प्रत्याशियों को यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाएगी।**

साक्षात्कार से पहले या बाद में प्रत्याशियों द्वारा सिडबी/आईबीपीएस को सीधे कोई दस्तावेज नहीं भेजा जाएगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है (जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है):

(v) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए:** (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से कम नहीं (iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां प्रत्याशी और या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को भी स्क्रूटिनी समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08 सितंबर, 1993 के तहत समय-समय पर संशोधनों से शासित होता है। क्रीमी लेयर में आने वाले ओबीसी प्रत्याशी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी ' सामान्य (जनरल)' के रूप में इंगित करनी चाहिए। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी प्रत्याशियों को ***वित्तीय वर्ष (FY) 2024-2025, 2023-2024 और 2022-2023 की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और 01 अप्रैल, 2025 (वित्त वर्ष 2024-25 के पूरा होने के बाद) को जारी किया*** *जाना चाहिए, लेकिन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद नहीं। प्रत्याशी के पास पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 11 अगस्त, 2025 को / उससे पहले आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।*

नोट: ओबीसी आवेदकों के लिए, केवल केंद्रीय सूची में शामिल जातियों / उप-जातियों पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, ओबीसी जाति/उप-जाति जो संबंधित राज्य सूची में शामिल है, लेकिन केंद्रीय सूची (भारत सरकार) में नहीं है, को ओबीसी श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा।

(vi) आर्थिक रूप से कमजोर धारा :(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त, (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से कम न हो और (iv) उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां प्रत्याशी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था. (आरईएस) दिनांक 31 जनवरी, 2019 से शासित होता है। अस्वीकरण: "ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमेबाजी के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित किए जा रहे आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के अधीन है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय और संपत्ति प्रमाणपत्र" और ***वर्ष 2025-26 के लिए वैध प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है।प्रत्याशी के पास पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 11 अगस्त, 2025 को या उससे पहले*** *आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्ररूप में अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए।*

(vii) बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए: अधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप-मंडल चिकित्सा अधिकारी और एक आर्थोपेडिक / नेत्र / ईएनटी सर्जन या उपयुक्त सरकार द्वारा प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में नामित कोई व्यक्ति शामिल होगा।

(viii) अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों से संबंधित प्रत्याशियों को साक्षात्कार के समय इसके समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ix) पहचान प्रमाण: परीक्षा के समय (बिंदु क्र.**20-21, पृष्ठ 41 के साथ पढ़ा जाना है)** परीक्षा हॉल में, बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) और प्रत्याशी की वर्तमान में फोटो पहचानपत्र, मूल के साथ उसकी एक फोटोकॉपी **(जिस पर बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) पर लिखे अनुसार ठीक वैसा ही नाम हो)** जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड / फोटो के साथ बैंक पासबुक / फोटो के साथ फोटो पहचान प्रमाण / किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र/आधार/फोटो के साथ ई-आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी/फोटोग्राफ के साथ बार काउंसिल पहचान पत्र सत्यापन के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्याशी की पहचान को बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) पर उसके विवरण, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में सत्यापित किया जाएगा। यदि प्रत्याशी की पहचान संदेह में है तो प्रत्याशी को परीक्षा / साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

1. राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को इस परियोजना के लिए वैध आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. जिन प्रत्याशियों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी, जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना/अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र/शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

(x) स्थायी पते का प्रमाण (केवल साक्षात्कार के समय आवश्यक): (i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरण (iii) किसी भी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण से पत्र (iv) बिजली बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (सिडबी की संतुष्टि के अधीन) (vii) राज्य सरकार या इसी तरह के पंजीकरण प्राधिकरण के साथ विधिवत पंजीकृत **प्रत्याशी** के पते का संकेत देने वाला एक किराया समझौता। (सिडबी की संतुष्टि के लिए सूचना प्रदान करने वाला कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त होगा)। जबकि आईडी प्रूफ में स्थायी पता भी होता है, स्थायी पते के अलग प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।

नोट: उम्मीदवारों को मूल रूप में, वही फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र / कॉल लैटर पर दिखाई देता है और परीक्षा में भाग लेने के दौरान परीक्षा कॉल लेटर के साथ-साथ साक्षात्कार कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा / साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा-पत्र (कॉल लैटर):

- ✓ ऑनलाइन परीक्षा के **बुलावा-पत्र (कॉल लैटर)** (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ) परीक्षा स्थल पर जमा करने की आवश्यकता है।
- ✓ इसके अलावा, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान स्क्राइब फॉर्म (जहां भी लागू हो) भी एकत्र किया जाएगा।
- ✓ **प्रत्याशियों** को "सूचना हैंडआउट" और **बुलावा-पत्र (कॉल लैटर)** में दी गई जानकारी के अनुसार **बुलावा-पत्र (कॉल लैटर)** और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ एक अतिरिक्त फोटो (**बुलावा-पत्र (कॉल लैटर)** पर **प्रत्याशी** द्वारा चिपकाया गया) **लाना आवश्यक** है।
- ✓ **बुलावा-पत्र (कॉल लैटर)** पर चिपकाए गए फोटोग्राफ के बिना या एक अतिरिक्त फोटोग्राफ (**बुलावा-पत्र (कॉल लैटर)** पर चिपकाए गए) के बिना रिपोर्ट करने वाले **प्रत्याशियों** को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  *(यह सलाह दी जाती है कि **प्रत्याशी** उसी फोटोग्राफ की लगभग 8 प्रतियाँ बरकरार रखें, जो आवेदन के समय अपलोड की गई हैं क्योंकि इस चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी।*
- ✓ **प्रत्याशी** को जाते समय लैब/स्थल के बाहर दिए गए बक्से में रफ शीट को छोड़ देना चाहिए। विशिष्ट निर्देश कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित किए **जाएँगे**।

(xi) परीक्षा के बाद नियंत्रण

परीक्षा के पूरा होने पर, **प्रत्याशियों** को परीक्षा-स्थल के कर्मचारियों द्वारा निर्देशित किए अनुसार**,** बिना भीड़ किए, व्यवस्थित तरीके से परीक्षा स्थल से बाहर निकलना चाहिए।

(परीक्षा से संबंधित कुछ और निर्देश, परीक्षा की निर्धारित तिथि के दौरान, परिस्थिति के आधार पर जोड़े या संशोधित किए जा सकते हैं)

10. गैर-वापसी योग्य आवेदन-सह-प्रक्रिया शुल्क [लागू जीएसटी सहित]:

प्रत्याशी की श्रेणी	आवेदन शुल्क (रु. में)	सूचना प्रभार (रु. में)	कुल प्रभार (रु. में)
अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी	शून्य	**रु.175/- (रुपये एक सौ पचहत्तर केवल)**	**रु.175/- (रुपये एक सौ** पचहत्तर केवल)
अन्य (अपिव / ईडब्ल्यूएस और सामान्य प्रत्याशियों सहित)	**रु.925/- (रुपये नौ सौ पच्चीस मात्र)**	**रु.175/- (रुपये एक सौ पचहत्तर मात्र)**	**रु.1100/- (रुपये एक हजार और एक सौ मात्र)**
स्टाफ प्रत्याशी	शून्य	शून्य	शून्य

11. आवेदन कैसे करें:

प्रत्याशी केवल सिडबी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(i) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएँ

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, प्रत्याशियों को चाहिए कि: –

(i) निम्नलिखित का स्कैन करें:
- ✓ **फोटोग्राफ (4.5 सेमी* 3.5 सेमी)**
- ✓ **हस्ताक्षर (काली स्याही से)**
- ✓ **बाएँ अंगूठे का निशान (काली या नीली स्याही वाले सफेद कागज पर)**
- ✓ **हाथ से लिखा गया घोषणापत्र (काली स्याही से श्वेत पत्र पर) (पाठ नीचे दिया गया है)**
- ✓ **प्रत्याशियों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान वेबकैम या मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी लाइव तस्वीर को कैप्चर और अपलोड करना भी आवश्यक होगा**

  यह सुनिश्चित करना कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं।

(ii) **कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएँगे।**

(iii) **बाएँ अंगूठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धब्बा नहीं लगाया जाना चाहिए।** (यदि किसी प्रत्याशी के पास बाँया अंगूठा नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है।

(iv) **हाथ से लिखी गई घोषणा का पाठ इस प्रकार है -**

"मैं, ______ (प्रत्याशी का नाम), इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। जरूरत पड़ने पर मैं सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।"

"I, ______ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required."

(v) **उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा प्रत्याशी की लिखावट और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा।** (दृष्टिबाधित प्रत्याशियों के मामले में जो लिख नहीं सकते हैं, वे घोषणा का पाठ टाइप करवा सकते हैं और टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।

(vi) अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का **ऑनलाइन भुगतान** करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें।

(vii) एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी रखें, जिसे कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। सिडबी पीआरटी/ऑन-लाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) डाउनलोड करने की सूचना केवल इस ई-मेल आईडी पर ही भेजेगा। यदि किसी प्रत्याशी के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी बनानी चाहिए और उस ईमेल खाते को बनाए रखना चाहिए।

(ii) ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

A. आवेदन प्रक्रिया

1. प्रत्याशी सिडबी की वेबसाइट **पर जाएं- www.sidbi.in -** "ऑनलाइन आवेदन करें / **APPLY ONLINE" विकल्प पर क्लिक करें,** जिससे एक नई स्क्रीन खुलेगी।
2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, टैब चुनें, **"नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें / Click here for New Registration "** और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड उत्पन्न किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। **प्रत्याशी** को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का संकेत देने वाला एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा।
3. यदि प्रत्याशी एक बार में आवेदन पत्र को पूरा करने में असमर्थ है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट / SAVE AND NEXT" टैब चुनकर पहले से दर्ज किए गए डेटा को सहेज सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरणों को सत्यापित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट / SAVE AND NEXT" " सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो इसे संशोधित करें। दृष्टिबाधित प्रत्याशियों को आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विवरणों को सत्यापित करना चाहिए कि अंतिम प्रस्तुति से पहले यह सही है।
4. **प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें**

और सत्यापित करें क्योंकि "पंजीकरण पूर्ण करें / COMPLETE REGISTRATION" बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।

5. **प्रत्याशी** या उसके पिता / पति आदि का नाम आवेदन में सही ढंग से लिखा जाना चाहिए क्योंकि यह प्रमाण पत्र / मार्क शीट / पहचान प्रमाण में दिखाई देता है। पाया गया कोई भी परिवर्तन/परिवर्तन उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर सकता है।
6. अपने विवरण को मान्य करें और *'अपने विवरण को मान्य करें/ Validate your details'* और *'सहेजें और अगला/ Save & Next'* बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सहेजें।
7. प्रत्याशी स्कैनिंग और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के लिए बिंदु "सी" के तहत दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
8. **प्रत्याशी** आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
9. **"पंजीकरण पूर्ण करें / COMPLETE REGISTRATION" से पहले पूरे आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब /** Preview Tab **पर क्लिक करें**।
10. यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें, और **सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद ही "पंजीकरण पूर्ण करें / COMPLETE REGISTRATION"** पर क्लिक करें कि आपके द्वारा भरी गई तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य विवरण सही हैं।
11. 'भुगतान / Payment' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
12. 'सबमिट / Submit ' बटन पर क्लिक करें।

B. <u>शुल्क का भुगतान</u>

<u>ऑनलाइन मोड</u>

1. आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
2. भुगतान स्क्रीन पर पूछे गए अनुसार जानकारी प्रदान करके डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। डबल चार्ज से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएँ।
4. लेनदेन के सफल समापन पर, एक ई-रसीद उत्पन्न होगी।
5. 'ई-रसीद' का सृजन न होना भुगतान विफलता को दर्शाता है। भुगतान की विफलता पर, प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं।
6. **प्रत्याशियों** को ई-रसीद **और ऑनलाइन आवेदन पत्र** का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है**<u>। कृपया ध्यान दें कि यदि इसे जनरेट नहीं किया जा सकता है, तो ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हो सकता है।</u>**

नोट:
- **(i)** ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें, डबल चार्ज से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएं।
- **(ii)** क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी कीमतें भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।
- **(iii)** अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेन-देन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।

(i) एकाधिक पंजीकरण के मामले में, केवल अंतिम पंजीकरण को वैध रखा जाएगा।

(ii) शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, प्रत्याशी को ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्पन्न प्रणाली का प्रिंटआउट लेना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भरे गए विवरण सटीक हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ इसे बनाए रखें। उन्हें यह प्रिंटआउट सिडबी को नहीं भेजना चाहिए।

(iii) आवेदन के सफल पंजीकरण पर उत्पन्न पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ एक ईमेल / एसएमएस सूचना प्रत्याशी की ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सिस्टम जनरेटेड

पावती के रूप में भेजी जाएगी। यदि प्रत्याशियों को उनके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर ईमेल और एसएमएस सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे विचार कर सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं हुआ है।

(iv) ऑनलाइन आवेदन सही ढंग से भरने के लिए प्रत्याशी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों के कारण अमान्य आवेदनों के मामले में, सिडबी द्वारा एकत्र किए गए आवेदन धन की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(v) दृष्टिबाधित प्रत्याशियों को आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विवरणों को सत्यापित करना चाहिए कि अंतिम सबमिशन से पहले यह सही है।

अंतिम मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए, प्रत्याशियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने और जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीकरण करने की सलाह दी जाती है।

नोट - शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण युक्त प्रस्तुत आवेदन को पुनर्मुद्रित करने का भी प्रावधान है।

कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र सहित ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद कोई परिवर्तन / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण के परिवर्तन के बारे में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। सिडबी आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए आवेदन या चूक में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(vi) एक ऑनलाइन आवेदन जो किसी भी संबंध में अपूर्ण है जैसे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की गई तस्वीर और हस्ताक्षर के बिना / असफल शुल्क भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा।

(vii) प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन करें और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि इंटरनेट / वेबसाइट जाम पर भारी भार के कारण सिडबी की वेबसाइट पर डिस्कनेक्शन / अक्षमता / लॉगऑन करने में विफलता की परेशानियों से बचा जा सके।

(viii) सिडबी उपर्युक्त कारणों से या सिडबी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले प्रत्याशियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

(ix) कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त प्रक्रिया आवेदन करने के लिए एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका या अधूरा कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(x) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी प्रत्याशी पर व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी और यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण बाद में गलत पाई जाती है तो वह अभियोजन/सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

(xi) पते में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध, या ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित किसी अन्य विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक प्रत्याशी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में उसके बुलावा-पत्र (कॉल लैटर), उपस्थिति पत्रक और सिडबी के साथ सभी पत्राचार में उसके द्वारा संलग्न हस्ताक्षर एक-समान होने चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

(xii) एक नवीनतम, पहचानने योग्य फोटोग्राफ ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रत्याशी द्वारा अपलोड किया जाना चाहिए और प्रत्याशी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसी की प्रतियां प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए सुरक्षित रखी जाएँ। प्रत्याशियों को यह भी सलाह दी जाती है कि प्रक्रिया पूरी होने तक वे अपना हुलिया न बदलें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अपना एक ही फोटोग्राफ प्रस्तुत करने में विफलता, किसी भी स्तर पर पहचान के बारे में संदेह अयोग्यता का कारण बन सकता है।

C. दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक प्रत्याशी को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी।

(i) फोटोग्राफ छवि: (4.5 सेमी * 3.5 सेमी)

- फोटोग्राफ हाल ही में पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ हल्के रंग के, अधिमानतः सफेद, पृष्ठभूमि में है।
- अपने सहज चेहरे के साथ सीधे कैमरे को देखें .
- यदि तस्वीर धूप वाले दिन ली गई है, तो अपने पीछे सूरज रखें, या अपने आप को छाया में रखें, ताकि आप स्क्विंटिंग न करें और कोई कठोर छाया न हो।
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि कैमरे में "रेड-आई" न हो।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि चश्में पर कोई प्रतिबिंब न आए, और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
- टोपी, टोप, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है।
- धार्मिक हेडवियर की अनुमति है लेकिन यह आपके चेहरे को कवर नहीं करना चाहिए।
- डाइमेंशन: 200 x 230 पिक्सल (पसंदीदा) .
- फ़ाइल का आकार 20kb -50 kb के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50kb से अधिक नहीं है। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग, जैसे- डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या को समायोजित करें।

(ii) हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणा की फोटो :

- आवेदक को ब्लैक इंक पेन से सफेद कागज पर हस्ताक्षर करना होगा।
  - ✓ डाइमेंशन: 140 x 60 पिक्सल (वरीयत:)
  - ✓ फ़ाइल का आकार हस्ताक्षर के लिए 10kb - 20kb और बाएं अंगूठे के निशान के लिए 20kb - 50kb के बीच होना चाहिए।
  - ✓ सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं है
- आवेदक को अपने बाएं अंगूठे का निशान एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से लगानी होगी।
  - ✓ फाइल का प्रकार: जेपीजी / जेपीजीई
  - ✓ आयाम / डाइमेंशन: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए वरीयत:) अर्थात 3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
  - ✓ फाइल का आकार: 20 केबी - 50 केबी
- आवेदक को काली स्याही से एक सफेद कागज पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा पत्र लिखना होगा।
  - ✓ फाइल का प्रकार: जेपीजी / जेपीजीई
  - ✓ आयाम/ डाइमेंशन:: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए वरीयत:) अर्थात 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
  - ✓ फाइल का आकार: 50 KB - 100 KB
- बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- यदि परीक्षा के समय हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक या बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर / हाथ से लिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

(iii) दस्तावेज़ फ़ाइल प्रकार/आकार:

- सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में होने चाहिए।
- दस्तावेज़ का पृष्ठ आकार A4 होना चाहिए.
- फ़ाइल का आकार 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए.
- दस्तावेज़ स्कैन किए जाने के मामले में, कृपया सुनिश्चित करें कि यह पीडीएफ के रूप में सहेजा गया है और **इसका आकार पीडीएफ के रूप में 500 केबी से अधिक नहीं है। यदि फ़ाइल का आकार 500KB से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग को समायोजित करें, जैसे कि डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि।** कृपया सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट और पठनीय हैं।

(iv) फोटोग्राफ कैप्चर:

- उक्त फोटोग्राफ के अलावा, प्रत्याशियों को वेबकैम या मोबाइल फोन का उपयोग करके अपनी लाइव तस्वीर को कैप्चर और अपलोड करना भी आवश्यक होगा।
- "कैप्चर फोटो" विकल्प का चयन करने पर, प्रत्याशियों का वेबकैम सक्रिय हो जाएगा जिससे वे अपनी तस्वीर क्लिक कर सकेंगे, जो आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगी।
- "स्कैन करने के लिए यहां क्लिक करें" विकल्प का चयन करने पर, प्रत्याशी क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं, जो एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, जिससे वे अपने मोबाइल फोन पर फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। ली गई तस्वीर का चयन करने पर, फोटोग्राफ आवेदन पत्र

में स्वतः अपलोड हो जाएगा।

फोटो कैप्चर करने के लिए क्या करें और क्या न करें:

क्या करें :
- सुनिश्चित करें कि फोटो हल्के रंग की, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि के सामने कैप्चर की गई है और पर्याप्त रोशनी है।
- **सीधे वेबकैम / कैमरे की ओर देखें।**
- **फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का होना चाहिए।**

क्या न करें :
- **छोटे आकार की तस्वीर क्लिक/अपलोड नहीं की जानी चाहिए।**
- रंगीन चश्मा या धूप का चश्मा/टोपी नहीं पहननी चाहिए।
- **चेहरे पर छाया / कैमरे का सामना न करना / विकृत चेहरा / मास्क से ढका चेहरा / धुंधली छवि न हो।**
- **फोटो अंधेरे/अनुचित पृष्ठभूमि में न लिया गया हो।**

नोट:-

- यदि तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे के निशान या हाथ से लिखित घोषणा में चेहरा अस्पष्ट / धुंधला है, तो प्रत्याशी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा पत्र अपलोड करने के बाद प्रत्याशियों को यह जांचना चाहिए कि छवियां स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड की गई हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो प्रत्याशी फॉर्म जमा करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर सकते हैं और अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर को फिर से अपलोड कर सकते हैं।
- ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्रों का प्रिंटआउट लें।

(v) दस्तावेजों को स्कैन करना:

- स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें।
- रंग को वास्तविक रंग (ट्रू कलर) पर सेट करें।
- फ़ाइल का आकार जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है।
- स्कैनर में छवि को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे की छाप/हाथ से लिखित घोषणा के किनारे तक क्रॉप करें, फिर छवि को अंतिम आकार में क्रॉप करने के लिए अपलोड एडीटर का उपयोग करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है)।
- छवि फ़ाइल जेपीजी/JPG या जेपीईजी/JPEG प्ररूप की होनी चाहिए। **एक उदाहरण फ़ाइल नाम है: image01.jpg या image01.jpeg** छवि आयामों को फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल छवि आइकन पर माउस ले जाकर जांचा जा सकता है।
- एमएस विंडोज / एमएसऑफिस का उपयोग करने वाले प्रत्याशी एमएस पेंट या एमएसऑफिस / पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्रारूप में दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। स्कैन किए गए दस्तावेज़ को फ़ाइल मेनू में 'इस रूप में सहेजें/ सेव एस' विकल्प का उपयोग करके .jpg/.jpeg प्रारूप में सहेजा जा सकता है। क्रॉप और फिर आकार बदलने/रिसाइज़ के विकल्प का उपयोग करके आकार समायोजित किया जा सकता है। इसी तरह के विकल्प अन्य फोटो एडीटर में भी उपलब्ध हैं।
  - यदि फ़ाइल का आकार और स्वरूप निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
  - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय प्रत्याशी को अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा।

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय प्रत्याशी को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे के निशान और हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएँगे।
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "फोटोग्राफ / हस्ताक्षर अपलोड करें / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करें"
- ब्राउज़ करें और उस स्थान का चयन करें जहां स्कैन की गई तस्वीर / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा फ़ाइल सहेजी गई है।
- उस पर क्लिक करके फाइल का चयन करें।

- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें।
- यदि फ़ाइल का आकार और स्वरूप निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- अपलोड की गई छवि का पूर्वावलोकन छवि की गुणवत्ता देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/धुंधला होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता पर फिर से अपलोड किया जा सकता है।

निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है:

- बाएं अंगूठे का निशान
- हाथ से लिखा घोषणा पत्र
- जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र (पीडीएफ)
- विकलांगता प्रमाणपत्र (पीडीएफ)
- अनुभव प्रमाण पत्र (पीडीएफ) जीवनवृत्त/रिज्यूमे के साथ संक्षेप में (पीडीएफ)
- शैक्षिक प्रमाण पत्र: प्रासंगिक मार्क-शीट/डिग्री प्रमाणपत्र (पीडीएफ)
- पाठ्येतर गतिविधियों (जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर), पुरस्कार/सेवा में मान्यता आदि में उल्लेखनीय उपलब्धि से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य (पीडीएफ)

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि आप अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और निर्दिष्ट रूप से हस्तलिखित घोषणा पत्र अपलोड नहीं करते।

नोट:-

1. **यदि तस्वीर में चेहरा, या हस्ताक्षर अस्पष्ट / धुंधला है, तो प्रत्याशी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जा सकता है।**
2. **ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा पत्र अपलोड करने के बाद प्रत्याशियों को यह जांचना चाहिए कि छवियां स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड की गई हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो प्रत्याशी अपने आवेदन को संपादित कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने से पहले अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे के निशान या हाथ से लिखित घोषणा को फिर से अपलोड कर सकते हैं।**
3. **प्रत्याशी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो हस्ताक्षर के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थानों पर अपलोड किया गया है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो प्रत्याशी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
4. **प्रत्याशी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो अपेक्षित आकार की है और उसमें चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।**
5. **यदि फोटो, *परीक्षा के लिए फोटो प्रवेश के स्थान पर* अपलोड नहीं किया गया है तो अस्वीकार कर दिया जाएगा / प्रत्याशी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।**
6. **प्रत्याशियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।**
7. **ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्रों का प्रिंटआउट लें।**

*****

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' में अधिकारियों के पद के लिए भर्ती – सामान्य और विशेषज्ञ संवर्ग: 2025

सामान्य निर्देश

[कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें]

1. आवेदन पत्र भरने से पहले, प्रत्याशियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि के संबंध में सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। **14 जुलाई, 2025 और 11 अगस्त, 2025 तक, जैसा भी मामला हो,** उस पद के संबंध में जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है और आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण सभी मामलों में सही हैं।

2. चयनित प्रत्याशियों की नियुक्तियां बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने, पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में संतोषजनक रिपोर्ट, उनके पिछले नियोक्ता और रेफरी से संतोषजनक रिपोर्ट, जाति / जनजाति और वर्ग प्रमाण पत्र का सत्यापन और सिडबी की पूर्ण संतुष्टि के लिए अन्य सभी पूर्व भर्ती औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन होंगी। इसके अलावा, ऐसी नियुक्ति सिडबी के सेवा और आचरण नियमों के अधीन भी होगी।

3. ऑनलाइन आवेदनपत्र और किसी अन्य दस्तावेज (मूल या उसकी प्रति) का प्रिंटआउट **सिडबी के किसी कार्यालय/शाखा को** नहीं भेजा जाना चाहिए।

4. प्रत्याशियों को आगाह किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी विवरण या जानकारी को प्रस्तुत न करें जो झूठी, छेड़छाड़ / मनगढ़ंत है या किसी भी भौतिक जानकारी को दबाना नहीं चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चला है कि कोई प्रत्याशी आवेदन किए गए पद के लिए किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और / या उसने कोई गलत जानकारी दी है या किसी भी भौतिक तथ्य (तथ्यों) को दबा दिया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से किसी भी कमी का पता चलता है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

5. सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले प्राप्त की जानी चाहिए, जैसा कि इस विज्ञापन में दर्शाया गया है। यदि अंकों के बजाय ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, तो प्रत्याशियों को ग्रेड के रूपांतरण चार्ट की एक प्रति संख्यात्मक मान में संलग्न करनी चाहिए, जिसे विभागाध्यक्ष/संस्थान द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, यदि वह अंक पत्र में इंगित नहीं किया गया है।

6. भर्ती से संबंधित सभी मामलों में सिडबी का निर्णय अर्थात प्रत्याशी की पात्रता, पात्रता की ऐसी जांच के चरण, साक्षात्कार/चयन आदि के संचालन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और कोई अन्य मामला अंतिम और प्रत्याशी के लिए बाध्यकारी होगा। **इस संबंध में सिडबी द्वारा कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ नहीं की जाएगी।**

7. सिडबी के पास रिक्तियों की संख्या के अनुरूप साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या को सीमित करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानक को बढ़ाने/छूट देने आदि का अधिकार सुरक्षित है। **इस संबंध में** अलग से कोई पत्र/अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

8. सिडबी आवेदन करने की पात्रता के बारे में सलाह मांगने वाले प्रत्याशी के अनुरोधों पर विचार नहीं करेगा।

9. बैंक प्रत्याशियों को चयन प्रक्रिया की मार्कशीट प्रस्तुत नहीं करता है। चरण I (ऑनलाइन परीक्षा), चरण II परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बैंक की वेबसाइट पर एक इंटरैक्टिव मोड में उपलब्ध कराए जाएँगे।

10. एक बार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किए गए आवेदन सह प्रक्रिया शुल्क / डाक शुल्क किसी भी कारण वापस **नहीं किए** जाएँगे और न ही भविष्य

की किसी भी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखे जाएँगे।

11. हाल ही में पासपोर्ट आकार, रंगीन फोटोग्राफ (काले चश्मे के बिना) की पर्याप्त प्रतियां, जो 'ऑनलाइन' **बुलावा-पत्र (कॉल लैटर)** पर चिपकाई गई हैं, को बाद की भर्ती औपचारिकताओं के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने तक अपना हुलिया न बदलें। बाद में उसी फोटो को प्रस्तुत करने में विफलता, अयोग्यता का कारण बन सकती है।

12. ओबीसी श्रेणी से संबंधित प्रत्याशियों के संबंध में, *भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08 सितंबर, 1993 के तहत समय-समय पर संशोधनों से शासित होता है। क्रीमी लेयर में आने वाले ओबीसी प्रत्याशी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी ' सामान्य (जनरल)' के रूप में इंगित करनी चाहिए। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी प्रत्याशियों को **वित्तीय वर्ष (FY) 2024-2025, 2023-2024 और 2022-2023 की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और 01 अप्रैल, 2025 (वित्त वर्ष 2024-25 के पूरा होने के बाद) को जारी किया** जाना चाहिए, लेकिन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद नहीं। प्रत्याशी के पास पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 11 अगस्त, 2025 को / उससे पहले आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।*

नोट: ओबीसी आवेदकों के लिए, केवल केंद्रीय सूची में शामिल जातियों / उप-जातियों पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, ओबीसी जाति/उप-जाति जो संबंधित राज्य सूची में शामिल है, लेकिन केंद्रीय सूची (भारत सरकार) में नहीं है, को ओबीसी श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा।

13. अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं- (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी-कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के पद से कम नहीं (iv) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी, जहां प्रत्याशी और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

14. प्रत्याशी की नियुक्ति जनजाति / वर्ग प्रमाण पत्र उचित चैनल और प्रमाणपत्र के सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया जा रहा है, के अधीन अनंतिम रहेगा। प्रत्याशी की सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है, यदि सत्यापन से पता चलता है कि ओबीसी (क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होने सहित) और अन्य प्रमाणपत्र से संबंधित उसका दावा झूठा है। सिडबी प्रत्याशी के खिलाफ ऐसी आगे की कार्रवाई करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह झूठे प्रमाण पत्र(त्रों) की प्रस्तुति के लिए उचित समझ सकता है।

15. साक्षात्कार के दौरान हिंदी/अंग्रेजी के उपयोग के लिए **विकल्प** उपलब्ध होगा**।** प्रत्याशी नोट करें कि उन्हें आवेदनपत्र में उपयुक्त स्थान **पर** इस बारे में अपने विकल्प का उल्लेख करना है।

16. प्रत्याशियों को अपने खर्च और जोखिम पर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण / ऑनलाइन परीक्षा / व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। सिडबी किसी भी प्रत्याशी को किसी भी प्रकृति की किसी भी चोट / हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

17. प्रत्याशियों को अपने स्वयं के खर्च पर साक्षात्कार (जैसा लागू हो) के लिए उपस्थित होना होगा। हालांकि, पात्र आउटस्टेशन एससी / एसटी / विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यात्रा के प्रमाण (रेल / बस टिकट आदि) के उत्पादन पर सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय एसी श्रेणी से रेलवे / बस किराया या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा। उक्त रियायत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी, जो पहले से ही केंद्र / राज्य सरकार, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों / स्थानीय सरकार, संस्थानों और पंचायतों आदि में

सेवा में हैं। स्थानीय परिवहन खर्चों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

18. चयनित प्रत्याशी, जो पहले से ही सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की सेवा में हैं, को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते समय ***अपने वर्तमान नियोक्ता से*** 'मूल रूप में उचित राहत पत्र/निर्वहन प्रमाण पत्र' **प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विफल होने पर उन्हें ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** अतः ऐसे प्रत्याशी, जो पहले से ही सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की सेवा में हैं, वे सिडबी में आवेदन करने से पहले अपने वर्तमान नियोक्ता से इस संबंध में, अपने वर्तमान नियोक्ता के नियमों/विनियमों के अनुसार पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

19. **केवल भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक प्रत्याशी ही आवेदन करें।**

20. परीक्षा हॉल में और साथ ही साक्षात्कार के समय (जैसा लागू हो), मूल के साथ बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) और प्रत्याशी की वर्तमान में वैध फोटो पहचान (बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) पर दिखाई देने वाले ठीक उसी नाम का प्रभाव) की एक फोटोकॉपी जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता कार्ड / फोटो के साथ बैंक पासबुक / फोटो के साथ एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान प्रमाण / फोटो पहचान प्रमाण के साथ, किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी फोटो/वैध हाल के पहचान पत्र/आधार कार्ड/फोटो के साथ, ई-आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी/फोटोग्राफ के साथ ई-आधार कार्ड के साथ आधिकारिक लेटरहेड पर जन प्रतिनिधि सत्यापन के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्याशी की पहचान को बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) पर उसके विवरण, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में सत्यापित किया जाएगा। यदि प्रत्याशी की पहचान संदेह में है तो प्रत्याशी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस इस परियोजना के लिए वैध आईडी प्रूफ नहीं हैं।

नोट: प्रत्याशियों को मूल फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा / साक्षात्कार में भाग लेने के दौरान क्रमशः परीक्षा बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) के साथ-साथ, साक्षात्कार बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) के साथ उसी फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्याशियों को ध्यान देना चाहिए कि बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया), उस पर दिखाई देने वाला नाम, फोटो पहचान प्रमाण पर दिखाई देने वाले नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

जिन महिला प्रत्याशियों ने शादी के बाद पहला/अंतिम/मध्य नाम बदला है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) और फोटो पहचान प्रमाण में इंगित नाम के बीच कोई अंतर होगा, तो प्रत्याशी को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन प्रत्याशियों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र/शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे।

21. कृपया ध्यान दें कि प्रत्याशियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

- **(i)** परीक्षा के लिए वैध बुलावा-पत्र (कॉल लैटर)।
- **(ii)** फोटो-पहचान प्रमाण मूल में; और
- **(iii)** उसी फोटो-पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी

22. परीक्षा के लिए बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद देर से रिपोर्ट करने वाले प्रत्याशियों को परीक्षा देने की **अनुमति नहीं दी जाएगी।** बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षण के प्रारंभ समय से पहले है। हालांकि परीक्षा की अवधि **तीन घंटे** है, प्रत्याशियों को विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने और विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करने, लॉग इन करने, निर्देश देने के लिए आवश्यक समय सहित **लगभग पांच घंटे** के लिए कार्यक्रम स्थल पर रहने की आवश्यकता हो सकती है।

23. कदाचार/अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी पाए गए प्रत्याशियों **के खिलाफ कार्रवाई**

प्रत्याशियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे कोई भी ऐसा विवरण प्रस्तुत न करें, जो झूठा, विकृत (टेम्पर्ड) या मनगढ़ंत हो, और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किसी भी चीज की सूचनाएं दबाना नहीं चाहिए।

परीक्षा, साक्षात्कार या बाद की चयन प्रक्रिया के समय, यदि कोई प्रत्याशी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है) -

(a) अनुचित साधनों का उपयोग करना या

(b) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण या प्रतिरूपण प्राप्त करना या

(c) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षण(ओं) की सामग्री के प्रसारण और भंडारण का प्रकटीकरण, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, संचारण, भंडारण या सुविधा प्रदान करना या उसमें किसी भी जानकारी को पूरे या उसके हिस्से में किसी भी रूप या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए या

(d) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना, या

(e) अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या

(f) परीक्षा / साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या संचार के इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने के लिए, ऐसा प्रत्याशी आपराधिक अभियोजन के लिए खुद को उत्तरदायी बनाने के अलावा, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हो सकता है:

(i) उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाना, जिसके लिए वह एक प्रत्याशी है;

(ii) सिडबी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाना;

(iii) सेवा की समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही सिडबी में शामिल हो चुका है।

महत्वपूर्ण:
सिडबी सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य प्रत्याशियों के साथ व्यक्तिगत प्रत्याशियों के जवाबों (उत्तरों) का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में सिडबी द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला जाता है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो सिडबी संबंधित प्रत्याशियों की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे प्रत्याशियों (अयोग्य) का परिणाम रोक दिया जाएगा।

24. केंद्र, स्थल का पता, आवेदन किया गया पद, परीक्षा और साक्षात्कार के लिए तिथि और समय संबंधित बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) में सूचित किया जाएगा। एक प्रत्याशी जिसने सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है, उसे सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in से अपना बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) डाउनलोड करना चाहिए। अपना विवरण यानी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड / जन्म तिथि दर्ज करके डाउनलोड करना चाहिए। बुलावा-पत्र (कॉल लैटर)/सूचना हैंडआउट की कोई हार्ड कॉपी डाक/कूरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और / एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जाएगी। मोबाइल नंबर, ई-मेल पते, तकनीकी खराबी या अन्यथा सिडबी के नियंत्रण से बाहर होने के कारण प्रत्याशी को ई-मेल के माध्यम से भेजे गए किसी भी संचार की देर से प्राप्ति/गैर-प्राप्ति की जिम्मेदारी सिडबी नहीं लेगा। इसलिए प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in पर विवरण, अपडेट और किसी भी जानकारी के लिए संपर्क में रहें, जिसे आगे मार्गदर्शन के लिए पोस्ट किया जा सकता है और साथ ही भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल खाते को देखते रहें।

25. परीक्षा के प्रशासन में कुछ समस्या होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, जो परीक्षण वितरण और / या परिणाम प्रस्तुत करने से प्रभावित हो सकता है। उस घटना में, हर संभव प्रयास किया जाएगा। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए, जिसमें प्रत्याशियों का आना-जाना, परीक्षा में विलंब शामिल हो सकता है। पुन: परीक्षा का संचालन परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय के पूर्ण विवेक पर

निर्भर है। प्रत्याशियों के पास फिर से परीक्षा के लिए कोई दावा नहीं होगा। प्रत्याशी, जो स्थानांतरित करने के इच्छुक नहीं हैं या परीक्षण वितरण की विलंबित प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें प्रक्रिया से सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

26. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में स्कोर को सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरी के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर के लिए समायोजित करने के लिए समतुल्य किया जाएगा। यदि नोड्स की क्षमता कम है या किसी भी केंद्र पर या किसी प्रत्याशी के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होती है।

27. यदि पर्याप्त संख्या में प्रत्याशी ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो सिडबी उन प्रत्याशियों को कोई अन्य अनुबद्ध केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या यदि प्रत्याशियों की संख्या किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो सिडबी प्रत्याशी को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले दावे या विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल लखनऊ में ही की जा सकती है और लखनऊ में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फोरम के पास किसी भी दावे / विवाद की सुनवाई करने का एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

29. प्रत्याशी को भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन पत्र / पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का सुरक्षित रूप से सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट रखना सुनिश्चित **करना चाहिए**। पंजीकरण संख्या/पासवर्ड की पुनः आपूर्ति के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

30. **किसी भी रूप में अनुयाचन करना एक अयोग्यता होगी।**

31. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाए गए प्रत्याशी द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/या प्रक्रिया के उल्लंघन के उदाहरणों से प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया से अयोग्य हो जाएगा और उसे भविष्य में सिडबी भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे उदाहरणों का पता नहीं चल पाता है, लेकिन बाद में पता चला है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ होगी।

32. सिडबी को बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदन/उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार है और सिडबी का निर्णय प्रत्याशी पर बाध्यकारी होगा।

33. बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए, या बैंक के साथ पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लिखित ईमेल आईडी पर प्रत्याशियों को अवगत कराए गए, किसी भी नोटिस / पत्राचार / संचार को, सभी उद्देश्यों के लिए प्रत्याशी के साथ किया गया समुचित संचार माना जाएगा।

टिप्पणी: उक्त विज्ञापन के संदर्भ में, यदि कोई शुद्धिपत्र और आगे की घोषणाएँ जारी की जाएंगी, तो उन्हें केवल बैंक की वेबसाइट www.sidbi.in पर प्रकाशित किया जाएगा ।

(संदीप वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन विकास उद्भाग

स्थान:- मुंबई
दिनांक: - जुलाई 14, 2025

*****..

परिशिष्ट ।

निर्दिष्ट विकलांगता वाले ऐसे व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल है किंतु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं है, अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती ____________________________________(उम्मीदवार का नाम), पुत्र / पुत्री ______________________, _________ निवासी (ग्राम / पीओ / पीएस / जिला/राज्य) आयु ___ वर्ष की जांच की है, जो __________ वाले व्यक्ति (विकलांगता / स्थिति की प्रकृति) हैं तथा यह इंगित किया जाता है कि उनकी स्थिति ऐसी है जो उनकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उन्हें परीक्षा में लिखने के लिए लेखक की सहायता अपेक्षित है।

2. उपरोक्त उम्मीदवार ऐसे यंत्र और सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट किया जाए) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए लेखक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जा रहा है और यह दिनांक _____ तक वैध है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए)।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी / (पुनर्वास मनोविज्ञानी / मनोचिकित्सक/ विशेष शिक्षक	स्नायुविज्ञानी (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक उपचारकर्ता (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी .... अध्यक्ष				

कारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम (मुहर सहित)

स्थान:

दिनांक :

<u>परिशिष्ट-II</u>

निर्दिष्ट विकलांगता वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाला वचनपत्र, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल है किंतु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं है, अर्थात <u>40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति</u>।

मै___________________, जो.................... (विकलांगता की प्रकृति/स्थिति) के साथ

.... (परीक्षा का नाम) हेतु .... जिले में .... (राज्य का नाम) .... (केंद्र का नाम) केंद्र पर अनुक्रमांक .... के साथ परीक्षा दे रहा/रही हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि ___________________________ (लेखक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए लेखक (स्क्राइब) की सेवा प्रदान करेगा/करेगी।
3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता ______________________ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित किए गए अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मेरे तत्संबंधी पद या प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री और उससे संबंधित दावों के अधिकार को समाप्त कर दिए जाएंगे।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रति हस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग है)

स्थान:

दिनांक :

परिशिष्ट-III

परीक्षा केंद्र – ऑनलाइन परीक्षा (**अनुमानित सूची**)

चरण I परीक्षा: चरण -I के लिए ऑनलाइन परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**शहर**	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**शहर**
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा/गुंटूर, विशाखापत्तनम, कुरनूल, राजमुंदरी, गुंटूर	**मध्य प्रदेश**	भोपाल, इंदौर, जबलपुर
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन	**महाराष्ट्र**	छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), अमरावती, कोल्हापुर, नांदेड़, मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे/एमएमआर, नागपुर, नासिक, पुणे
असम	गुवाहाटी, डिब्रूगढ़	**मणिपुर**	इम्फाल
बिहार	दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर,	**मेघालय**	शिलांग
चंडीगढ़	चंडीगढ़ – मोहाली	**मिजोरम**	आइजॉल
छत्तीसगढ़	रायपुर, भिलाई, बिलासपुर (छग)	**नागालैंड**	कोहिमा
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	सूरत	**ओडिशा**	भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, ढेंकनाल
		पुडुचेरी	पुडुचेरी
दिल्ली	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	**पंजाब**	अमृतसर, जालंधर, भटिंडा, पटियाला, लुधियाना
गोवा	पणजी	**राजस्थान**	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर
गुजरात	अहमदाबाद/गांधीनगर, राजकोट, सूरत/बारडोली, वडोदरा/आनंद	**सिक्किम**	गंगटोक
हरियाणा	फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार	**तमिलनाडु**	चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, सलेम
हिमाचल प्रदेश	शिमला, हमीरपुर	**तेलंगाना**	हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर
जम्मू और कश्मीर	जम्मू/सांबा, श्रीनगर	**त्रिपुरा**	अगरतला
झारखंड	धनबाद, रांची, जमशेदपुर	**उत्तराखंड**	देहरादून, हलद्वानी, रुड़की
कर्नाटक	बेंगलुरु, बेलगावी, मैसूरु, हुबली/धारवाड़, गुलबर्गा	**उत्तर प्रदेश**	आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, नोएडा।
केरल	तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड	**पश्चिम बंगाल**	कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता, आसनसोल
लद्दाख	लेह		

चरण II (परीक्षा): चरण -2 के लिए ऑनलाइन परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी:

अहमदाबाद/गांधीनगर	हैदराबाद/सिकंदराबाद	श्रीनगर
बेंगलूरु	जयपुर	पटना
भोपाल	जम्मू	पुणे
भुवनेश्वर	कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता	रायपुर
चंडीगढ़ - मोहाली	लखनऊ	रांची
चेन्नई	मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे/एमएमआर	शिलांग
गुवाहाटी	दिल्ली - एनसीआर	तिरुवनंतपुरम
पटियाला	लुधियाना	

दूसरे चरण की परीक्षा के लिए अलग से बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे।

*****

<u>परिशिष्ट IV</u>

<u>अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....ने .... (दिनांक) को .... (संगठन का नाम) की सेवाओं में .... के रूप में कार्यग्रहण किया (पदनाम/पद) (स्थायी/संविदात्मक)। वर्तमान में वे हमारे .... विभाग / कार्यालय/शाखा में .... के पद पर कार्यरत हैं। हमारे बैंक में **<u>एक अधिकारी के</u>** रूप में कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा धारित विभिन्न पदों का विवरण निम्नानुसार है: -

क्रमांक	पदनाम	पदस्थता स्थान (विभाग/कार्यालय/शाखा)	दिनांक से	दिनांक तक	अनुभव का विवरण	अनुभव (महीनों में)

दिनांक:-
स्थान:-

नाम:-
पदनाम & विभाग
मुहर:-

नोट:- उपरोक्त प्रारूप में प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा .... (कंपनी/संगठन) के पत्रशीर्ष पर जारी किया जाना चाहिए और उक्त कंपनी/संगठन से नियुक्ति पत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।..